वार्षिक रिपोर्ट

2007—2008

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ
I	परिचय	1
II	वर्ष एक नजर में	7
III	सड़क विकास	15
IV	सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा	33
V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	41
VI	अनुसंधान और विकास	47
VII	सीमा सड़क संगठन	51
VIII	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	55
IX	प्रशासन एवं वित्त	59
X	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	65
XI	सतर्कता	67
XII	संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण	69
XIII	विभागीय लेखा संगठन और ढांचा	71
XIV	विविध	75

अनुबंध

अनुबंध I	देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	77
अनुबंध II	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – VII	79
अनुबंध III	वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन	81
अनुबंध IV	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण – III के अंतर्गत खंडों की सूची	83
अनुबंध V	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–क के अंतर्गत खंडों की सूची	84
अनुबंध VI	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण ख के अंतर्गत खंडों की सूची	86
अनुबंध VII	कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	92
अनुबंध VIII	वर्ष 2006–2007 के लिए अनुदानों के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति	93
अनुबंध IX	गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत	94
अनुबंध X	2006–2007 के दौरान निधियों का उपयोग	96
अनुबंध XI	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश	98

अध्याय I

परिचय

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग को मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम और केंद्रीय मोटर यान नियमावली के प्रशासन तथा पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त, सड़क परिवहन, वाहन आवागमन से संबंधित पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों आदि के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

1.1.2 श्री टी.आर. बालु पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं तथा श्री के.एच. मुनियप्पा मंत्रालय में राज्यमंत्री हैं।

सड़क नेटवर्क

1.1.3. भारत का सड़क नेटवर्क 3.314 मिलियन कि.मी. है जो विशालतम सड़क नेटवर्कों में से एक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत हैं–

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	66754 कि.मी.
राज्यीय राजमार्ग	128000 कि.मी.
प्रमुख और अन्य जिला सड़कें	470000 कि.मी.
ग्रामीण सड़कें	2650000 कि.मी.

1.1.4 चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का आगे वर्गीकरण किया गया है। सामान्यतया, एकल लेन के मामले में लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर होती है जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की बहु–लेन के मामले में यह चौड़ाई 3.5 मीटर प्रति लेन होती है। चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत इस प्रकार हैं–

एकल लेन/मध्यवर्ती लेन	18350 कि.मी. (27%)
दो लेन	39079 कि.मी. (59%)
चार लेन/छह लेन/आठ लेन	9325 कि.मी. (14%)

सड़क परिवहन

1.1.5. सड़कों से लगभग 65 प्रतिशत माल भाड़ा और 86.7 प्रतिशत यात्री यातायात होता है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का लगभग 2 प्रतिशत ही है, परन्तु इन पर कुल सड़क यातायात का 40 प्रतिशत यातायात होता है। विगत पाँच वर्षों (वर्ष 1999–2000 से 2003–04) के दौरान वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 10.10% की गति से वृद्धि हो रही है। कुल यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा बढ़ रहा है। सन् 1950–51 में कुल माल भाड़ा और यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा क्रमशः 13.8% और 15.4% था और 2004–05 के अंत तक मालभाड़ा और यात्री यातायात में सड़क का हिस्सा क्रमशः बढ़कर अनुमानतः 65% और 86.7% हो गया है। इसलिए वर्तमान तथा भावी यातायात और पृष्ठ भू–भागों तक सुगम्यता में सुधार दोनों के लिए सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा खपत में अधिक किफायत, प्रदूषण में कमी तथा बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए सड़क यातायात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित हैं जबकि अन्य श्रेणी की सड़कों के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार हैं। इस संदर्भ में, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के विभिन्न चरणों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

1.1.6 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक चरणबद्ध रूप में शुरू की गई थी, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को चरण–। और चरण–।। से शुरू किया गया जिनमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–I और II में 2004 के मूल्यों पर 65,000 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत से लगभग 14,000 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6/8 लेन का बनाने की परिकल्पना है। इन दोनों चरणों में स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्ग, पत्तन संपर्क सड़क और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली–मुंबई–चेन्नै–कोलकाता चार महानगरों को जोड़ने वाली 5846 कि.मी. लंबाई शामिल हैं। उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों में 7142 कि.मी. लंबाई शामिल है जो क्रमशः उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में सलेम–कोचीन खंड के साथ कन्याकुमारी से तथा पूर्व में सिल्चर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में पत्तन सड़क संपर्क परियोजनाएं भी शामिल है जिसमें देश के 12 महापत्तनों को जोड़ने के लिए 380 कि0मी0 लंबाई में सड़कों का सुधार और 962 कि0मी0 लंबी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- सरकार ने 2,35,690 करोड़ रुपए के निवेश से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चरणबद्ध रूप में 2005–2015 की अवधि के दौरान पूरा होने वाले एक व्यापक कार्यक्रम की भी परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। और चरण–।। को पूरा करना, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर

12,109 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्ययन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III, 20,000 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV, 6,500 कि0मी0 लंबे चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V, 1000 कि0मी0 लंबे एक्सप्रेसवे के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े शहरों के लिए 700 कि0मी0 लंबे रिंग रोड और बाइपास निर्माण तथा फ्लाईओवर, एलीवेटिड सड़कें, सुरंगें, अंडर पास, ग्रेड सेपरेटिड इंटरचेंजिज आदि जैसे अन्य स्टेंड अलोन संरचनाओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियाजना चरण–VII शामिल हैं।

1.1.7 उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्रमों में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–। और चरण–।। जो पहले अनुमोदित किए गए थे, के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रमों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है:–

- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।।। के अधीन 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,109 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अधीन 41,210 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि0मी0 और अन्य खंडों के 800 कि0मी0 को मिलाकर कुल 6,500 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाना ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI के अधीन 16,680 करोड़ रुपए की लागत से नए संरेखण पर पूर्ण पहुंच नियंत्रण के साथ 1000 कि0मी0 लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अधीन 16,680 करोड़ रुपए की लागत से शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क सुधार, ग्रेड सेपरेटिड, इंटरसेक्शन, फ्लाई ओवर, एलीवेटिड राजमार्ग, आर ओ बी, अंडर पास और सर्विस रोड सहित रिंग रोड का निर्माण।

पूर्वोतर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी – एन ई)

1.1.8 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में 8,737 कि0मी0 सड़कों के निर्माण/सुधार की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 3846 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और 4,891 कि0मी0 लंबी राज्यीय सड़कों का सुधार शामिल है। इस कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यन्वित किया जाएगा। चरण 'क' की अनुमानित लागत 12,793 करोड़ रूपए है जिसमें सकल बजटीय सहायता से 8,173 करोड़ रुपए की राशि और 4,620 करोड़ रुपए की राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपकर से भुगतान की जाने वाली वार्षिकी पर लिवरेज की जाएगी।

सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की भागीदारी

1.1.9 विगत में, सड़क अवसंरचना विशेषतः राजमार्गों में सरकार द्वारा ही निवेश किया जाता था जो मुख्यतः अत्याधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि, अनिश्चित

प्रतिलाभ तथा इनसे जुड़े अनेक बाह्य कारकों की वजह से किया जाता था। हाल ही में, संसाधनों की तेजी से बढ़ती आवश्यकता तथा प्रबंधन दक्षता एवं उपभोक्ता की सजगता के फलस्वरूप निजी क्षेत्र की भी सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट और सड़क निर्माण उपस्करों और मशीनरी इत्यादि के शुल्क मुक्त आयात जैसे कई नीतिगत प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–।।। से चरण–VII तक सभी उप–परियोजनाएं सार्वजनिक – निजी भागीदारी रुट से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर शुरू की जाएंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II में परिकल्पित निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ाया गया है। केवल असाधारण परिस्थिति में, ही इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण आधार का उपायेग करके परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।

केंद्रीय सड़क निधि

1.1.10 केंद्र सरकार ने पेट्रोल और हाई–स्पीड डीजल पर एकत्रित उपकर से केंद्रीय सड़क निधि के नाम से एक समर्पित कोष की स्थापना की है। इस समय पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर उपकर दो रुपए प्रति लीटर वसूला जा रहा है। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, यह निधि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल उपरिपुलों/नीचे पुलों (अन्डर ब्रिज) के निर्माण/विकास और अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए वितरित की जाती है। वर्तमान 2.00 रुपए के उपकर का वितरण निम्न प्रकार किया जा रहा है:–

(i) 1.50 रु0 प्रति लीटर की उपकर राशि निम्न प्रकार से आबंटित की जा रही है:–

(क) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए।

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% और पेट्रोल पर एकत्रित संपूर्ण उपकर का आबंटन उसके बाद इस प्रकार किया जाता है :–

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए।
- 12.5% के बराबर धनराशि सड़कोपरि/नीचे पुलों के निर्माण तथा मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा कार्य के लिए।
- 30% के बराबर धनराशि राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए। इसमें से 10% धनराशि अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाती है।

(ii) शेष 0.50 रु0 प्रति लीटर उपकर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही आबंटित किया जाता है।

1.1.11 यह विभाग केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि अनुमोदित करने और जारी करने, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी जानकारी के भंडार

के रूप में कार्य करने के अलावा, देश में सड़कों और पुलों के मानक और विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

सड़क सुरक्षा

1.1.12 यह विभाग देश के सड़क सुरक्षा रिकार्ड में सुधार की आवश्यकता भी महसूस करता है। सड़क सुरक्षा के तीन पहलू है अर्थात् इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा। राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन स्तर पर ही इंजीनियरी से संबंधित पहलू का ध्यान रखा जाता है। सड़क सुरक्षा प्रावधानों/नियमों के प्रवर्तन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें जिम्मेदार होती हैं। इस मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से प्रिंट, श्रव्य और दृश्य – श्रव्य मीडिया में अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित व्यापक जन शिक्षा दी जा रही है।

अध्याय II

वर्ष एक नजर में

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र

पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों की 2 राजमार्ग/सड़कों जिनकी लंबाई क्रमशः 147 कि0मी0 और 17 कि0मी0 है, को दिसंबर, 2007 में राष्ट्रीय राजमार्ग 31डी और 47सी के रुप में घोषित किया गया है।

2.1.2 29 फरवरी, 2008 तक स्वर्णिम चतुर्भुज के 5650 कि0मी0 (96.65%) में कार्य पूरा हो गया है और शेष 196 कि0मी0 (3.35%) में कार्य चल रहा है।

2.1.3 29 फरवरी, 2008 तक उत्तर–दक्षिण पूर्व–पश्चिम महामार्ग के 1962 कि0मी0 में चार लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और 4359 कि0मी0 में कार्य चल रहा है।

2.1.4 अप्रैल 2007 में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III 'क' के अंतर्गत बिहार में 6,782 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 780 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और 47,557 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III 'ख' के अंतर्गत 7,294 कि0मी0 के उन्नयन को अनुमोदित किया है। इन अनुमोदनों से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की लागत पर राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए कुल लंबाई 12,109 कि0मी0 है।

2.1.5 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अधीन बी ओ टी (पथकर) पद्धति पर 16,880 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्टेंड अलोन रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर्स, फ्लाईओवरर्स, एलेवेटिड रोड़, सुरंगें, रोड ओवर ब्रिज, अंडर पासेस और सर्विस रोड़ आदि के निर्माण के लिए भी दिसंबर, 2007 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2.1.6 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अधीन 29 फरवरी, 2008 तक 330 कि0मी0 लंबाई में 4 लेन पहले ही बना दी गई हैं और 1,745 कि0मी0 में कार्य चल रहा है।

बी ओ टी (पथकर) परियोजनाएं

2.1.7 निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर आधारित परियोजनाएं) आधार पर अभी तक लगभग 23104.31 करोड़ रुपए मूल्य की 82 परियोजनाएं (56 एनएचएआई और 26 पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) हाथ में ली गई हैं। इनमें से 34 परियोजनाएं (10 एनएचएआई + 24 पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) पूरी ही चुकी हैं और 48 परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

बी ओ टी (वार्षिकी) परियोजनाएं (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंड)

2.1.8 वार्षिकी आधार पर 1,376.22 कि0मी0 लंबाई की 25 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इनमें से 476 कि0मी0 लंबाई की 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

2.1.9 विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अधीन एकल उप परियोजनाओं के अनुमोदन और समन्वय के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की है। 29 फरवरी, 2008 तक समिति ने इस कार्यक्रम के चरण–'क' के अधीन 1613.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 664 कि0मी0 लंबाई की विभिन्न उप–परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

2.1.10 इस समय, पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल पर 2.00 रुपए प्रति लीटर का उपकर लिया जा रहा है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के लिए 8,106.39 करोड़ रु0 (राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 6,541.07 करोड़ रू0 तथा राज्यीय सड़कों के लिए 1,565.32 करोड़ रु0) प्रदान किए गए हैं। इसके साथ–साथ राज्यीय सड़कों के लिए सकल बजटीय सहायता से 0.68 करोड़ रु0 की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 2007–08 के दौरान अंतरराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए 173.93 करोड़ रु0 की धनराशि आबंटित की गई है।

सड़क परिवहन

2.1.11 सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने स्मार्ट कार्ड आधारित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग जारी करना शुरु कर दिया है। मोटर यान के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण–पत्र के राज्य रजिस्टरों और राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन के लिए विभाग, 148 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह विभाग व्यय वित्त समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा।

2.1.12 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की दसवीं बैठक 21 अप्रैल, 2007 को कोयम्बटूर में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों, राज्य/संघ शासित प्रदेशों के सचिव/आयुक्त (परिवहन), परिवहन प्रचालन संगठनों के प्रतिनिधियों, सड़क सुरक्षा संबंधी गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों ने भाग लिया।

2.1.13 इस विभग ने 23 मार्च, 2007 को बस बॉडी निर्माताओं की प्रत्यायन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इस नियमों के अनुसार देश में बस बॉडी निर्माताओं के आंचलिक और राष्ट्रीय स्तरीय प्रत्यायन बोर्डों की प्रणाली के माध्यम से प्रत्यायित किया जाएगा। ये नियम 23 मार्च, 2008 से लागू होंगे।

2.1.14 सड़क द्वारा वहन विधेयक 2007 संसद द्वारा सितंबर, 2007 में पारित किया गया था। इस बिल पर महामहिम् राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त करने के बाद 1 अक्तूबर, 2007 को सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस विधेयक के लागू हो जाने से यातायात

प्रणाली को पारदर्शी और सरल बनाने में मदद मिलेगी। इससे सड़क द्वारा माल के परिवहन की प्रणाली और प्रक्रियाएं आधुनिक होंगी। इसे लागू करने से पूर्व इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है।

2.1.15 संसद में मोटर यान संशोधन विधेयक, 2007 लाने के बारे में इस विभाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने 1 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया था। तदनुसार, 15 मई, 2007 को राज्य सभा में यह विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में सड़क सुरक्षा और अनुशासन, मौजूदा अपराधिक दंड के अतिरिक्त नागरिक दायित्व के प्रावधान, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को अपने दायित्वों का निवर्हन करने के लिए और अधिक उत्तरदायी बनाने, सड़क दुर्घटना पीडितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा कर्ताओं आदि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्षतिपूर्ति दावों के निपटान के प्रावधान जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति चाही गई है। यह विधेयक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित स्थायी समिति को भेजा गया है, जो इसकी जांच कर रही है।

2.1.16 सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के संबंध में एक अलग निकाय की स्थापना पर विचार और सिफारिश करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के प्रतिष्ठित सदस्य श्री एस. सुन्दर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस विभाग को 20 फरवरी, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्रणाली और परिवहन प्रबंधन बोर्ड के गठन की सिफारिश की गई है। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श करके इस रिपोर्ट की जांच की गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्रणाली और परिवहन प्रबंधन बोर्ड के गठन के लिए सचिवों की समिति के विचारार्थ 10 जनवरी, 2008 को एक नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है।

2.1.17 सार्क देशों के परिवहन मंत्रियों की पहली बैठक 31 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान, बंग्ला देश, भूटान, मालद्वीव, नेपाल और श्रीलंका के परिवहन मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक से पूर्व 29 अगस्त, 2007 को परिवहन पर तकनीकी समिति की दूसरी बैठक और 30 अगस्त, 2007 को परिवहन पर अंतर सरकारी समूह की बैठक हुई थी। इन बैठकों में रेल, सड़क, वायु और पोत परिवहन क्षेत्रों से संबंधित मामलों से संबधित सार्क देशों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इन बैठकों का मुख्य जोर रेल, सड़क, अन्तर्देशीय जलमार्ग और विमानन संबंधी शीघ्र कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान कर और उन्हें शुरु करके सार्क देशों में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना था।

2.1.18 सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने के लिए प्रो0 (सेवा निवृत्त) ए.एल. अग्रवाल, आई.आई.टी. दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून, 2007 को एक समिति गठित की गई। इस समिति से 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

2.1.19 इस विभाग द्वारा पूर्व में तैयार किए गए राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीतिगत प्रलेख मसौदे पर प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को अंतिम रूप देने के लिए अक्तूबर, 2006 में श्री डी. थंगाराज, सचिव (परिवहन) कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। प्रारंभ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 8.9.2007 को प्रस्तुत कर दी थी। तथापि, 1.12.2007

को सभी स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला में यह महसूस किया गया कि इस नीतिगत प्रलेख को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और इस क्षेत्र में स्वतंत्र नियंत्रक की भूमिका पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तदनुसार, समिति से इस मुद्दे पर भी विचार करने और अपनी सिफारिशें जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

2.1.20 1–7 जनवरी, 2008 तक पूरे देश में 19वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसका विषय था– ''सावधानी से चलें! गलती न करें!''

2.1.21 सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए कुल 121 गैर सरकारी संगठनों को 1.72 करोड़ रु0 का सहायता अनुदान दिया गया है।

2.1.22 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के पुनचर्या प्रशिक्षण योजना के तहत 59,850 से अधिक चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 57 गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों को सहायता अनुदान मंजूर की गई है।

2.1.23 वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को 30 क्रेनें और 100 एम्बुलेंस स्वीकृत की गई हैं।

2.1.24 राज्यों को उनकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2.1.25 **मुख्य पहल**

- देश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विकास पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरु की गई है।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन और 6 लेन का बनाने के लिए विनिर्देशों और मानकों की नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है और उसे इस विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्यांकन प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने के लिए परामर्शी सेवाओं हेतु विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने के लिए विभाग में एक समिति का गठन किया गया है।
- वर्तमान में, देश में कुल 66,754 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में से 18,350 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड 2 लेन मानकों से भी कम है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधियों में इन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चौड़ा करके न्यूनतम 2 लेन मानकों का बनाने पर जोर दिया जाना है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिसिंग लिंक और मिसिंग ब्रिजों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमागों पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिपुलों और सड़क अंडर ब्रिजों के निर्माण, कमजोर/क्षतिग्रस्त और संकरे पुलों, आदि के पुनर्स्थापना/ पुनर्निर्माण/ चौड़ीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

- सीमा प्रबंधन विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ–साथ विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित समन्वित चेक पोस्टों से संपर्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लिंकों के विकास/उन्नयन कार्य सीमा प्रबंधन विभाग की प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध रूप में शुरु किए जा रहे हैं।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में अन्य बातों के साथ–साथ अनुरक्षण के लिए सड़क उपकर में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा अर्थात 1/3 अनुपात नियत करने के लिए सिफारिश की गई है। विभाग ने योजना आयोग से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख–रखाव के लिए उपकर राशि के भाग के उपयोग के परिणामस्वरुप राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के वित्त पोषण में आने वाली किसी संभावित कमी को पूरा करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता सूचित करने के बारे अनुरोध किया गया है।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजटीय सहायता से अहमदाबाद से दांडी (अर्थात् दांडी विरासत मार्ग) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 228 के लगभग 386 कि0मी0 का विकास शुरु करने का निर्णय लिया गया है। योजना आयोग से इस परियोजना के लिए वर्ष 2008–09 के दौरान अतिरिक्त सकल बजटीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

- एशियाई राजमार्ग रुट संख्या एएच–48 वर्तमान में भूटान में थिंपू–हेनशोलिंग से होते हुए भारत की सीमा तक जाता है। दिनांक 14.2.2008 को यह निर्णय लिया गया है कि यूएन–स्केप से एशियाई रूट संख्या एएच–48 को थिंपू–हेनशोलिंग–जयगांव (भारत में भारत–भूटान सीमा पर) को हासीमारा और जलपाईगुडी से होते हुए एशियाई राजमार्ग रूट संख्या एएच–2 पर फुलवाडी के लिए जोड़ने का प्रस्ताव किया जाए।

- प्रधानमंत्री जी ने 31 जनवरी, 2008 को अरुणाचल प्रदेश में अपने दौरे के दौरान यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला–नेचीपु–सेप्पा–सागाली– जीरो– डापोरीजो– आलोंग– पासीघाट– रुईंग– तेजू– महादेवपुर– नामचिक– चांगलाल– खोंसा– कानूबारी से गुजरते वाले तंवाग से महादेवपुर तक के ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग को 2 लेन मानकों पर विकसित किया जाएगा।

- विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा आयोजित सड़क क्षेत्र से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों में विभाग ने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रायोजन द्वारा अथवा धनराशि इत्यादि उपलब्ध कराने के माध्यम से अत्याधुनिक व्यवहारों आदि के प्रचार–प्रसार तथा उनके प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रुप से भाग लियाः–

(क) पेरिस में सितंबर, 2007 में आयोजित विश्व सड़क कांग्रेस में एक उच्च स्तरीय दल ने भाग लिया जहां विभिन्न देशों की अन्य सड़क कांग्रेसों के साथ विचार–विमर्श हुआ। इस सम्मेलन में उनके निमंत्रण पर भारत में सड़क सुरक्षा पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया। इस सम्मेलन के अलावा, सड़क क्षेत्र में इंडो–फ्रेंच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन गठित वर्किंग ग्रुप की एक बैठक भी आयोजित की गई।

(ख) सड़कों की सड़क सुरक्षा डिजाइन, निर्माण और प्रचालन पर एक सम्मेलन 5 और 6 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

(ग) इंटर मॉडल इंटरफेसेस के विकास पर दक्षिण एशियाई देशों के लिए उप क्षेत्रीय कार्यशाला 11 और 12 दिसंबर, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(घ) लॉग स्पैन ब्रिज और रुफ स्ट्रक्चर पर इंडियन नेशनल ग्रुप इंटर नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रिज एण्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार दिनांक 4–6 जनवरी, 2008 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

- राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवांछनीय सड़क विकास और अतिक्रमण के कारण तेजी से भीड़भाड़ बढ़ रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के नाम से एक नया अधिनियम अधिसूचित किया गया है और यह अधिनियम अधिसूचना की तारीख 27.1.2005 के अनुसार ही 27.1.2005 से ही लागू हो गया है। केन्द्र सरकार ने 192 राजमार्ग प्रशासन और 8 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण पहले ही स्थापित किए हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण चंडीगढ, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, जबलपुर, बंगलौर, चेन्नै और गुवाहाटी में स्थापित किए गए हैं।

- अंतराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व के कार्य की प्रगति को तीव्र करने तथा केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग में सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अगले वर्ष और उसके बाद से इन स्कीमों के अधीन शुरु किए जाने वाले कार्यों की पहचान आंचलिक समिति द्वारा की जाए और उसके बाद सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग), महानिदेशक और मुख्य अभियंता (योजना और मॉनीटरिंग) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इस पर आगे विचार किया जाए और सिफारिश की जाए। मंत्रालय द्वारा इन पर एक बार में ही अनुमोदन दिया जाए और तकनीकी तथा वित्तीय मंजूरियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाएं।

- इस समय राजमार्गों के आधुनिकीरण और टॉल कलैक्शन सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है; जिसके लिए आसूचना परिवहन प्रणाली को धीरे–धीरे लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन के लिए उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली, उन्नत यात्रा अथवा सूचना प्रणाली और इलैक्ट्रॉनिक टॉल कलैक्शन के लिए प्रौद्योगिकी निर्धारित करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने–जाने वाले यातायात का बेहतर आकलन करने के लिए स्वचालित यातायात गणना के लिए भी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव किया गया है। रियल टाइम डाटा प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कम क्लासीफायर्स लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

- राष्ट्रीय राजमार्गों को बीओटी पथकर आधार पर 6 लेन का बनाने, राष्ट्रीय राजमार्गों को बीओटी वार्षिकी और प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओ एम टी) आधार 4/6 लेन

का बनाने के लिए आदर्श रियायत समझौते को अंतिम रुप दिया गया है।

- पथकर नीति और शुल्क नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व शुल्क नियमावली पर सचिवों की समिति का अनुमादेन प्राप्त करने के बाद इसे विधिक पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है।

- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, मंत्रालय में परियोजना क्षेत्र के मुख्य अभियंता 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाले प्राक्कलनों को तकनीकी रुप से अनुमोदित कर सकते हैं। लागत वृद्धि और वह राशि जिसे व्यय वित्त समिति की अनुमति से छूट प्राप्त है, पर विचार करते हुए प्राक्कलनों को तकनीकी अनुमति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवर्धित शक्तियों के प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया गया है:–

मुख्य अभियंता	:	15 करोड़ रुपए
अपर महानिदेशक	:	30 करोड़ रुपए
महानिदेशक	:	पूर्ण शक्ति प्राप्त

अध्याय III

सड़क विकास

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तथापि, राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क निधि से अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत कुछ चुनिंदा राज्यीय सड़कों के लिए भी धनराशि प्रदान करती है। यह विभाग सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा, देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक व विनिर्देश तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

3.1.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 66,754 कि0मी0 है। राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची **अनुबंध–I** में दी गई है।

3.1.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता कठिनाई, पेवमेन्ट क्रस्ट, ज्यामितीय और सुरक्षा कारकों जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर आवश्यकता के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देकर वर्तमान राजमार्गों को चौड़ा और सुदृढ़ करके, पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। यद्यपि, सरकार, राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन उपलब्ध करा रही है और उच्च सघनता वाले महामार्गों को उन्नत करने के लिए पहल की हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त धनराशि आबंटित कर पाना संभव नहीं हुआ है। सड़क विकास के भौतिक कार्यक्रम और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए अन्य स्रोतों से धनराशि जुटाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली धनराशि से कुछ हद तक मांग और आपूर्ति की कमी के पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

3.1.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

संगठनात्मक ढांचा

3.1.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन इसमें निहित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सोंपे

गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। फरवरी, 1995 में इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ इसका प्रचालन शुरू हुआ।

3.1.6 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष और पाँच पूर्ण कालिक सदस्य नामतः सदस्य (प्रशासन), सदस्य (वित्त) और तीन सदस्य (तकनीकी) हैं। प्राधिकरण में चार अंश–कालिक (पदेन) सदस्य नामतः सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, सचिव, व्यय विभाग, सचिव, योजना आयोग और महानिदेशक (सड़क विकास), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग हैं।

3.1.7 देश भर में प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों और कॉरीडोर प्रबंधन यूनिटों के रूप में फैले हैं। इन इकाइयों के प्रमुख परियोजना निदेशक हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और पूर्ण खंड़ों के प्रचालन और अनुरक्षण के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। सिविल ठेकेदारों का चयन, पर्यवेक्षण, परामर्शदाताओं की नियुक्ति आदि से संबंधित सभी कार्य मुख्य कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। परियोजना निदेशक परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए निर्माण – पूर्व कार्यों और केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के साथ संपर्क के लिए उत्तरदायी हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन

3.1.8 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.7.2007 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

I. पूर्ण कालिक सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 और अंशकालिक सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करना।

II. अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक नियत करना।

III. मुख्य महाप्रबन्धक स्तर के 26 पदों का सृजन।

IV. बाह्य विशेषज्ञों को कार्य देने के लिए प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करना।

V. प्राधिकरण में विभिन्न विशिष्ट प्रकोष्ठों का सृजन

VI. लंबे समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थायी कर्मचारियों का एक कोर बनाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3.1.9 भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2,35,690 करोड़ रु0 के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो 2015 तक पूरी की जानी

है, के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी हैं। अप्रैल, 2007 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अधीन सभी नई परियोजनाओं को सार्वजनिक–निजी भागीदारी आधार पर शुरु की जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले इन्हें बी ओ टी (पथकर) पर सौंपा जाएगा, ऐसा न होने पर बी ओ टी (वार्षिकी) पर और इसके विफल होने पर सरकार के अनुमोदन से इंजीनियरी, प्रापण निर्माण (ईपीसी) आधार पर सौंपा जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त पोषण

3.1.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान 17,615 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 29 फरवरी, 2008 तक 13,280 करोड़ रूपए की राशि व्यय की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और II:–

3.1.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और चरण–II में निम्नलिखित मार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों का 4/6 लेन मानकों का विकास शामिल है:–

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज : इसमें चार महानगरों अर्थात् दिल्ली – मुम्बई – चेन्नै – कोलकाता को आपस में जोड़ना है।

(ख) उत्तर–दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग : इनमें श्रीनगर को सलेम से कोचीन खंड सहित कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबंदर के साथ जोड़ा जाना है।

(ग) देश के महा पत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना।

(घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंड।

3.1.12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I, जो 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2000 में सीसीइए द्वारा अनुमोदित की गई थी, में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5846 कि0मी0, उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्गों के 981 कि0मी0, पत्तन संपर्क के 356 कि0मी0 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि0मी0 को मिलाकर कुल 7498 कि0मी0 शामिल हैं। वर्ष के दौरान, फरवरी, 2008 तक 192 कि0मी0 में कार्य पूरा किया गया।

3.1.13 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II, जो 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था, में मुख्यतः उत्तर–दक्षिण, पूर्व – पश्चिम महामार्ग (6,240 कि0मी0) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 496 कि0मी0 को मिलाकर कुल 6736 कि0मी0 शामिल हैं। वर्ष के दौरान, फरवरी, 2008 तक 846.24 कि0मी0 में कार्य पूरा किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।।।

3.1.14 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण –।।। के अधीन 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बी ओ टी आधार पर 12,109 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है। यह चरण दो भागों अर्थात् चरण–।।। 'क' और चरण 'ख' में अनुमोदित किया गया है। चरण ।।।क में 33,069 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर कुल 4,815 कि0मी0 लंबाई शामिल है और चरण।।।ख में 47,557 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर 7,294 कि0मी0 लंबाई शामिल है और चरण ।।।क और ।।।ख को पूरा करने की तारीख क्रमशः दिसंबर, 2009 और दिसंबर, 2013 है। इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार खंडों की पहचान की गई है:–

I. उच्च घनत्व यातायात कॉरीडोर : जो चरण । और ।। में शामिल नहीं किए गए हैं।

II. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण–। और ।।) के साथ राज्य राजधानियों को संपर्क प्रदान करना।

III. पर्यटन और आर्थिक महत्व के स्थानों को संपर्क प्रदान करना।

12,109 कि0मी0 की कुल लंबाई में से 29 फरवरी, 2008 तक 330 कि0मी0 की लंबाई में 4 लेन पहले ही बना दी गई हैं और 1745 कि0मी0 लंबाई में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान 278 कि0मी0 लंबाई सौंपी गई है और फरवरी, 2008 तक 300 कि0मी0 लंबाई में कार्य पूरा किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV

3.1.15 इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अधीन लगभग 20,000 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इस चरण को सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V

3.1.16 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डी बी एफ ओ) आधार पर मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए अक्तूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया है। 6 लेन बनाए जाने वाले 6500 कि0मी0 में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5700 कि0मी0 और अन्य खंडों के 800 कि0मी0 शामिल हैं।

3.1.17 1405 कि0मी0 की व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गई है। 1493 कि0मी0 लंबाई के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए परामर्श प्रदान कर दिया गया है और 435 कि0मी0 के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3.1.18 बी ओ टी आधार पर 1030 कि0मी0 लंबाई को 6 लेन बनाने के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2007–08 में राजस्व शेयरिंग आधार पर 881 कि0मी0 की सात परियोजनाओं (विवरण तालिका–3.3) को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–VI

3.1.19 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI में डिजाइन–निर्माण–वित्त–प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के अधीन 1000 कि0मी0 लंबे पूर्णतः पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे के विकास की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण–VI को 16,680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नंवबर, 2006 में अनुमोदित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बडोदरा–मुम्बई एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई की है।

3.1.20 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शीघ्र ही दिल्ली– मेरठ, बंगलौर–चेन्नै और कोलकता–धनबाद पर एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरु करेगा।

3.1.21 इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता होगी। इसमें से 9000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से मिलेंगे और शेष 7,680 करोड़ रुपए की राशि का सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा जिसका अर्थक्षमता अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानातरण परामर्श आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।

3.1.22 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संपूर्ण परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII

3.1.23 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अधीन बी ओ टी (पथकर) पद्धति पर 16,680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2007 में स्टेंड अलोन रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपेरेटरों, फ्लाइओवरों, एलिवेटिड सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरिपुलों, अंडर पासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया है। विभिन्न राज्यों में 36 खंडों जिनका विवरण **अनुबंध–।।** में दिया गया है, में कार्य शुरु करने का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार पूर्ण की गई लंबाई की समग्र स्थिति नीचे तालिका–3.1 में दर्शाई गई है :–

तालिका 3.1

चरण	कुल लंबाई (कि0मी0 में)	पूर्ण की गई लंबाई (कि0मी0 में)	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
I स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्ग, पत्तन संपर्क और अन्य	7,498	7035	मार्च, 2008 तक स्वर्णिम चतुर्भुज का 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा।
II उत्तर दक्षिण – पूर्व–पश्चिम महामार्ग, अन्य को 4/6 लेन का बनाना	6647	1123	दिसंबर, 2009
III उन्नयन, 4/6 लेन बनाना	12,109	330	दिसंबर, 2013
IV पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन बनाना	20,000	–	दिसंबर, 2015 (वित्त पोषण योजना के अनुसार)
V स्वर्णिम चतुर्भज और उच्च घनत्व कॉरिडोर को 6 लेन का बनाना	6,500	शून्य	दिसंबर, 2012
VI एक्सप्रेसवे	1000	शून्य	दिसंबर, 2015
VII रिंग रोड, बाइपास, फ्लाईओवर और अन्य संरचनाएं	700 कि0मी0 रिंग रोड़/बाइपास+ फ्लाईओवर आदि	शून्य	दिसंबर, 2014

वर्ष के दौरान सौंपे गए कार्य

3.1.24 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अधीन कुल 1202 कि0मी0 की लंबाई सौंपी गई है जिसमें से 175.92 करोड़ रुपए के ऋणात्मक अनुदान के साथ बीओटी–वार्षिकी आधार पर 158 कि0मी0 और बीओटी–पथकर आधार पर 81 कि0मी0 लंबाई नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सौंपी गई हैं:–

वर्ष 2007–08 के दौरान (फरवरी, 2008 तक) ऋणात्मक अनुदान और ऋणात्मक अनुदान के बिना बीओटी–पथकर/वार्षिकी पर सौंपी गई परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है:–

तालिका 3.2

क्र. स.	परियोजना का नाम	बीओटी पथकर/ वार्षिकी	लंबाई (कि.मी.)	वीजीएफ/ (ऋणात्मक अनुदान)	सौंपी गई वार्षिकी	कुल परियोजना (करोड़ रुपए)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II के अंतर्गत एनएस–1/बीओटी एमपी–यूपी/ग्वालियर झांसी (रा.रा.–75 का कि.मी. 16 से कि.मी. 96.127)	वार्षिकी	80.00	–	52.29	604.00
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II के अंतर्गत एनएस–1/ बीओटी/ एमपी–ग्वालियर बाइपास (रा.रा.–3 के कि.मी. 103 से रा.रा.–75 के कि.मी. 16 तक)	वार्षिकी	42.00	एन ए	26.53	300.93
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत रा.रा.–1 के अमृतसर–वाघा सीमा खंड के कि.मी. 455.400 से कि.मी. 491.620 तक	वार्षिकी	36.22	एन ए	18.45	205.88
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत रा.रा.–48 पर नीलमंगला – देवनहल्ली खंड (पैकेज– I) कि.मी. 28/200 से 110.00 तक (नीलमंगला–हसन)	पथकर	81.00	175.92	एन ए	441.00

3.1.25 वर्ष के दौरान फरवरी, 2008 तक नए मॉडल रियायत करार के आधार पर राजस्व भागीदारी के साथ 1,027 कि.मी. लंबाई सौंपी गई। इसका विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है :–

तालिका 3.3

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.) में	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)
1	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III)	63.49	486
2	खालाघाट–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III)	82.8	549
3.	चेन्नै–टाडा (कि.मी.–11 से कि.मी. 54.40) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V)	43.4	353.371
4.	गुडगांव–कोटपुतली–जयपुर (कि.मी. 42.70 से 273.00) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V)	225.6	1,673.70
5.	सूरत–दहिसर (कि.मी. 263.00 से 502.00) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V)	239	1,405.57
6.	चिकालूरिपेट – विजयवाड़ा (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V)	82.5	572.3
7.	पानीपत–जालंधर (कि.मी. 96 से 387.10) (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V)	291	2,288.00
	कुल	**1027.8**	

कॉरीडोर प्रबंधन

3.1.26 राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों का अनुरक्षण और प्रचालन निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ कॉरीडोर प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है :–

(i) नेमी और आवधिक अनुरक्षण

(ii) सड़क संपत्ति प्रबंधन

(iii) घटना प्रबंधन

(iv) इंजीनियरी सुधार

(v) पथकर मुक्त वसूली

(vi) मार्गस्थ सुविधाएं

टॉलिंग

3.1.27 वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल 1000 कि.मी. लंबाई पर टॉलिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे पथकर राजस्व के रूप में 1400 करोड़ रुपए का सृजन होगा। 31 मार्च, 2007 तक उपकर संग्रहण 3209.56 करोड़ रुपए का था और वर्ष 2007–08 की समाप्ति तक यह 4609.56 करोड़ रुपए होगा। टॉल मैनेजमेंट और राजस्व संग्रहण में सुधार लाने के लिए मॉडर्न टॉलिंग उपस्कर जिसमें सी सी टी वी, स्मार्ट कार्ड, वे–इन–मोशन और अन्य साफ्टवेयर उपयोग किए जा रहे हैं।

शहरी परिवहन सुधार परियोजना

3.1.28 वर्ष के दौरान दिल्ली गुडगांव एक्सप्रेसवे की 27 कि.मी. लंबाई और हुगली नदी पर सिस्टर निवेदिता पुल (द्वितीय विवेकानंद पुल) की 6 कि0मी0 लंबाई को बी ओ टी पथकर आधार पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये परियोजनाएं आधुनिक टॉलिंग उपस्कर वाली पूर्ण पहुंच नियंत्रित पथ–कर सड़कें हैं।

3.1.29 4 ग्रेड सेपरेटर परियोजनाओं के निर्माण सहित चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तक पहुंच मार्ग सुधार का कार्य निर्माणाधीन है। इससे शहर के साथ सड़क संपर्क में सुधार होगा।

3.1.30 सिल्क बोर्ड जंक्शन के साथ इलैक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ने के लिए बंगलौर शहर में उत्थापित एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यकलाप संतोषजनक रूप से चल रहे हैं।

कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना

3.1.31 विशेषकर बी ओ टी आधार पर परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कार्यान्वयन प्रणाली को सुगम बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों को पी पी पी ए सी / आर एफ क्यू / आर एफ पी के संबंध में सरकारी प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया है। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा करने के बाद अगले वर्ष के लक्ष्य नियत किए जाएंगे। वर्ष 2007–08 की कमी को वर्ष 2008–09 की प्रथम तिमाही में पूरा करने की योजना बनाई गई है।

नीतिगत मुद्दों पर निर्णय

(i) सचिवों की समिति द्वारा 14.3.2007 को पथकर नीति को अंतिम रूप दिया गया।

(ii) प्रयोक्ता शुल्क नियमावली के मसौदे को 6.11.2007 को सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। आर्थिक कार्य पर मंत्रिमंडल समिति को भेजने से पूर्व इसकी विधिक पुनरीक्षा करवाई जा रही है।

(iii) 4 और 6 लेन बनाने की नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है और मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। इसे प्रकाशन के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस को भी भेजा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस अनुमोदित मैनुअल को अपनाने का निर्देश दिया गया है।

(iv) 6 लेन के आदर्श रियायत करार, अंतर–मंत्रालयी समूह द्वारा 24.12.2007 को अनुमोदित किया गया और अधिकार प्राप्त अवसरंचना समिति की उप समिति ने इसे 25.1.2008 को अनुमोदित किया।

(v) प्रचालन, अनुरक्षण, हस्तांतरण के लिए आदर्श रियायत करार, अंतर–मंत्रालयी समूह द्वारा 24.12.2007 को अनुमोदित किया गया और अधिकार प्राप्त अवसरंचना समिति की उप–समिति ने इसे 25.1.2008 को अनुमोदित किया।

(vi) बी ओ टी (वार्षिकी) के लिए आदर्श रियायत करार अंतर–मंत्रालयी समूह द्वारा 11.12.2007 को अनुमोदित किया गया। इस करार पर सचिवों की समिति की दिनांक 4 मार्च, 2008 को होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा।

(vii) यह वित्तीय योजना पुनः तैयार की जानी है।

राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

3.1.32 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, लगभग 46884 कि0मी0 लंबे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विकास और अनुरक्षण कार्य इस समय संबंधित लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सड़क खंडों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, के संबंध में वर्ष 2007–08 के दौरान 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार 2,781.22 करोड़ रुपए के 616 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

3.1.33 चालू वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 2078.64 करोड़ रु0 और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 600.00 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया है। 2078.64 करोड़ रुपए के अतिरिक्त, राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि से भी 90.00 करोड़ रु0 की धनराशि आबंटित की गई है।

3.1.34 राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2007–08 में क्रमशः 887.79 करोड़ रु0 और 30.06 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया है।

3.1.35 वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार आबंटन **अनुबंध–III** में दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

3.1.36 'पूर्वोतर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' में 8737 कि0मी0 लंबी सड़कों का सुधार/निर्माण कवर किया जाएगा। चरण–'क' में 2304 कि0मी0 लंबाई को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। चरण क की अनुमानित लागत 12793 करोड़ रुपए हैं जिसमें 8173 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता से मिलेंगे और शेष 4620 करोड़ रुपए की राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपकर से भुगतान की गई वार्षिकी पर लिवरेज की जाएगी। चरण–'क' के पूरा होने की संभावित लक्ष्य तिथि 2012–13 है। चरण–'ख' को केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

चरण–क

- राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सभी राज्यों की राजधानियों को कम से कम 2 लेन की सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क प्रदान करना;
- डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों तथा म्यांमार के साथ उचित रूप से जोड़ने के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना;
- नाथूला (चीन के साथ व्यापार मार्ग) को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना ; और
- पहचान की गई सामरिक सड़कों का सुधार करना

(11 जिला मुख्यालय भी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 2 लेन की सड़कों के माध्यमों से जुड़ जाएंगे।)

चरण–ख

- पूर्वोत्तर के शेष 51 जिला मुख्यालयों (पूर्वोत्तर में कुल 85 जिला मुख्यालय है, जिनमें से 23 को पहले ही 2 लेन सड़क संपर्क प्रदान कर दिया गया है) को 2 लेन सड़क संपर्क प्रदान करना और एस ए आर डीपी– एनईआर के चरण–'क' के अन्तर्गत 11 जिला मुख्यालयों को जोड़ा जा रहा है।
- सभी राज्यों की राजधानियों को कम से कम 2 लेन के राजमार्गों के माध्यम से अंतर–सड़क संपर्क प्रदान करना;
- सामरिक महत्व की कुछ सड़कों को सुधारना :
- पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना ; और
- सीमा क्षेत्रों, भूमि कस्टम स्टेशनों और पड़ोसी देशों को सड़क संपर्क प्रदान करना।

लक्ष्य / उपलब्धि

3.1.37 वर्ष 2006–07 इस परियोजना के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था। वर्ष 2007–08 के दौरान सीमा सड़क संगठन और असम लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 180 कि0मी0 सड़कों को 2 लेन मानकों के अनुसार पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2007–08 के लिए 700 करोड़ रुपए बजट आंबटन में से अब तक 450 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2008–09 के दौरान प्रत्याशित 1200 करोड़ रुपए के आबंटन से सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 300 कि0मी0 लंबाई को 2 लेन मानकों के अनुसार पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण चरण–'क' को वर्ष 2012–13 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चरण–'ख' को वर्ष 2015–16 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कठिनाइयां

3.1.38 इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय कई कठिनाइयां आईं जो निम्नवत हैं–

- **भूमि अधिग्रहण** – कुछ राज्यों में, प्रक्रियागत औपचारिकताओं, न्यायिक मामलों तथा संबंधित राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलंब हुआ है।

- **वन एवं पर्यावरण अनुमतियां** – केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ही स्तरों पर वन अनुमतियां प्राप्त करने में काफी विलंब हुआ है।

- **आर ओ बी डिजाइनों के लिए रेलवे की अनुमति** – स्वर्णिम चतुर्भुज का रेलवे की लेवल क्रासिंग से मुक्त करने के लिए 84 रेल ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज बनाए जाने थे। रेलवे से अनुमतियां/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेलवे के कई विभागों से संपर्क करना पड़ता है। इस तरह आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

- **सुविधाओं का स्थानांतरण** – विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे इलैक्ट्रिक लाइन, पानी की पाइप लाइन, सीवर लाइन, दूर–संचार लाइनों का स्थानान्तरण संबंधित सुविधा– प्रदाता एजेंसी की सहायता से करना होता है और इस कार्य में बहुत ज्यादा समय लगता है।

- **कानून और व्यवस्था की समस्या** – कानून और व्यवस्था की बदतर स्थिति तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण कई राज्यों में कार्य प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय जनता द्वारा और अधिक भूमिगत पारपथों/बाइपासों, फ्लाईओवरों की मांग किए जाने के कारण बार–बार काम रोकना सामान्य बात है।

- **कुछ ठेकेदारों का निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन** – कुछ ठेकेदारों का कार्य निष्पादन बहुत खराब रहा। इस खराब कार्य–निष्पादन का मुख्य कारण नकदी आप्रवाह की समस्या रही है। इन ठेकों को समाप्त किए जाने के कारण लंबे–लंबे मुकदमें चले और कार्य पूरा करने में और अधिक विलंब हुआ।

केंद्रीय सड़क निधि

3.1.39 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के लिए 12830.00 करोड़ रु0 के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है:–

तालिका 3.4

केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन

(करोड़ रु.)

1.	राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को अनुदान	1565.32
2.	अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	173.93
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	6541.06
4.	ग्रामीण सड़कें	3825.00
5.	रेलवे	724.69
	जोड़	12830.00

3.1.40 राज्यों द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जमा की गई राशि को बाद में 60 प्रतिशत ईंधन की खपत और 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न राज्यों को आबंटित कर दिया जाता है।

3.1.41 वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के संबंध में आबंटन और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है–

तालिका 3.5

आबंटन और जारी की गई धनराशि

वर्ष	2000–01		2001–02		2002–03	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003–04		2004–05		2005–06	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	910.76	778.94	868.00	738.36	1535.36	1299.27
वर्ष	2006–07		2007–08			
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी		
करोड़ रु0	1535.46	1462.29	1566.00**	1105.91*		

* 29 फरवरी, 2008 तक

** इसके अतिरिक्त, राज्यों को सकल बजट सहायता से 0.68 करोड़ रु0 की राशि भी राज्यीय सड़कों के लिए आबंटित की गई हैं।

केंद्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के लिए स्वीकृति

3.1.42 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 29 फरवरी, 2008 तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1127.88 करोड़ रु. की लागत के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम

3.1.43 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के पहले से विद्यमान है। उस समय केंद्रीय ऋण सहायता से केवल कम धनराशि वाले कार्य स्वीकृत किए जाते थे। अब इस स्कीम को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया गया है। अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण (ऋण की बजाय) किया जाता है। आर्थिक महत्व की स्कीम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषण 50–50 प्रतिशत किया जाता है।

अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के तहत स्वीकृति

3.1.44 वर्ष 2007–08 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 173.93 करोड़ रू0 की राशि निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान 302.94 करोड़ रू0 के केंद्रीय हिस्से के साथ 347.80 करोड़ रु0 के 41 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

3.1.45 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का एक सहयोगी निकाय है। देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी।

3.1.46 यह संस्थान विगत 23 वर्षों से कार्य कर रहा है और इसने 1.10.2001 से ए–5, संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश में अपनी कैम्पस में कार्य करना शुरु कर दिया है।

मुख्य कार्य

3.1.47 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं–

(क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।

(ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम।

(घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण।

(ड.) स्वदेशी और विदेशी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

3.1.48 राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से लेकर 29 फरवरी, 2008 तक 634 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों के सड़क विकास के कार्य में लगे 14,743 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये प्रतिभागी पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, सार्क तथा कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोगी स्कीम में विदेशों के सरकारी विभागों के इंजीनियरों ने भी भाग लिया है।

इसने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है।

3.1.49 **वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम** : इस वर्ष के दौरान संस्थान ने 74 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1,825 अभियंताओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित प्रायोजित और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं शामिल हैं :–

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय गुणता मॉनीटर्स (एन क्यू एम) और राज्य गुणता मॉनीटर्स (एस क्यू एम) पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- पहाड़ी क्षेत्रों, संविदा प्रबंधन, मानक बोली प्रलेख (एस बी डी) तैयार करना, गुणवत्ता आश्वासन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फील्ड इंजीनियरों के लिए पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबंध फ्रेमवर्क के संबंध में 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों से जुडे फील्ड इंजीनियरों के लिए परियोजना तैयार करने, संविदा प्रबन्धन, एस बी डी, गुणवत्ता आश्वासन और ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण पर 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- आन्ध्र प्रदेश के सड़क और भवन विभाग के इंजीनियरों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर कार्यक्रम।

- सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों के लिए कठोर पेव्मेंट्स के डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण, संविदा प्रबंधन और निर्माण प्रबंधन पर कार्यक्रम।

- नैराबी में कीनिया सरकार के राजमार्ग कार्य से जुडे अधिकारियों के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण पर कार्यक्रम।

- संचार, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, बांग्ला देश सरकार के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर कार्यशाला।

- राष्ट्रीय सम विकास योजना के अधीन बिहार राज्य में राज्यीय राजमार्ग विकास पर कार्यक्रम।

- तकनीकी सहयोग स्कीम – कोलंबो प्लान के अधीन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- गांधीनगर, भोपाल और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 पर कार्यशाला।

चालू वर्ष के दौरान 29 फरवरी, 2008 तक निधि के पाठयक्रमों में भागीदारी

29 फरवरी, 2008 तक निधि के पाठयक्रमों में भागीदारी			
	क्षेत्रीय स्तर	राष्ट्रीय स्तर	अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पाठयक्रम (74)	9	62	3
प्रशिक्षणार्थी (1825)	384	1369	72

सड़क निर्माण में यांत्रिकीकरण और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3.1.50 सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण में उच्च गुणता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक और परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जाए। तदनुसार, विभाग ने निर्माण और अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए आधुनिक और परिष्कृत मशीनों को संस्थापित करने हेतु निम्नलिखित पर्याप्त उपाय पहले ही किए हैं।

3.1.51 पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, ठेकेदारों के पास सामान्यतः आधुनिक सड़क निर्माण उपकरण हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम के पर्वतीय राज्यों में आधुनिक और परिष्कृत मशीनों की खरीद के लिए ठेकेदारों की क्षमता कम है। इसलिए अभी हाल में, विभाग ने ड्रम–मिक्स प्लांट, हाइड्रोस्टेटिक सेंसर, पेवर फिनशर, डीजी सेट, टिप्पर्स, और डोजर्स आदि की खरीद की है और ये मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं। एक्सकेवेटर कम लोडर, ट्रेक चेन माउंटिड हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर, मिनी टेंडम वायब्रेटरी रोड रोलर और व्हील डोजर जैसी कुछ और मशीनें वर्ष 2006–07 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई हैं।

3.1.52 पुलों के विस्तृत निरीक्षण के लिए मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट खरीदी गई और तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात राज्यों में लगाई गई हैं। इनका उपयोग पुलों के अनुरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करने के लिए किया गया है। 2005–06 के दौरान चार मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट खरीदी गई हैं और असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों को प्रदान की गईं। मध्य प्रदेश और निकटवर्ती राज्यों के उपयोग के लिए एमबीआईयू की एक और यूनिट की आपूर्ति के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2007–08 के दौरान 4 और यूनिटों की खरीद के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इन मशीनों की आपूर्ति गोवा, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ को किए जाने की संभावना है।

3.1.53 वाहनों में अधिक भार लदान जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान होता है और राजमार्गों पर दुर्घटनाएं होती हैं, को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए विभाग ने वर्ष 2005–06 के दौरान धीमी और उच्च गति में वाहनों का भार मापने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से नियंत्रित व्यवस्था तथा भार के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के लिए 5 डब्ल्यू आई एम–कम–एटीसीसी प्रणाली खरीदी हैं। ये प्रणाली मैसर्स ईसीएम, फ्रांस द्वारा शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लगाए जाने की संभावना है। वर्ष 2006–07 के दौरान मैसर्स आईआरडी, कनाडा से 8 और प्रणालियां असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और राजस्थान को दी जानी हैं।

3.1.54 कार्य की बेहतर गुणता सुनिश्चित करने और तेजी से कार्य–निष्पादन के लिए सड़क निर्माण में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में, निजी उद्यमियों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण मशीनरी की विभिन्न 21 मदों को वित्त मंत्रालय के परामर्श से निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

3.1.55 विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा उपकरणों और सामग्री के संबंध में सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा का भी लाभ उठाया जा रहा है। इस सुविधा से ठेकेदार परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनों से सुसज्जित हो सकेंगे।

अध्याय IV

सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

4. सड़क परिवहन

सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण है। माल भाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए सड़क परिवहन को पसंद किया जाता है और यह एक किफायती साधन है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय लेखे पर जारी संशोधित आंकड़ों के अनुसार 2004–2005 में सकल घरेलू उत्पाद में रेलवे के मात्र एक प्रतिशत हिस्से की तुलना में 4.5 प्रतिशत के हिस्से से सड़क परिवहन भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। सड़क परिवहन से 80 प्रतिशत यात्री यातायात और 60 प्रतिशत माल भाड़ा यातायात होता है। सड़क यातायात अपनाने के कुछ प्रमुख कारक – आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती यात्रा हैं। रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन एक पूरक सेवा का कार्य भी करती है।

4.1.2. यह विभाग, पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अतिरिक्त, देश में सड़क परिवहन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के कार्य से भी जुड़ा है।

4.1.3. विभाग के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियम/नियमावलियां, जो मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, का प्रशासन किया जाता है–

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865

4.1.4. सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिए नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 राज्यों ने वाहन (रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र) और सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) में प्रायोगिक परियोजना पहले ही लागू कर दी है और इनमें से 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों

ने रॉल–आऊट प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने स्मार्ट कार्ड आधारित रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण–पत्रों के राज्य रजिस्टरों और राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन हेतु 148 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यय–वित्त समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करेगा।

4.1.5. विभाग ने बस बॉडी बिल्डरों के प्रत्यायन की नियमावली को 23.3.2007 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार देश में बस बॉडी बिल्डरों को आंचलिक और राष्ट्रीय स्तर के प्रत्यायन बोर्डों के माध्यम से प्रत्यायित किया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार ऐसे अनुमोदित बिल्डर ही बस बॉडी बिल्डिंग कार्यकलाप कर सकेंगे। ये नियम 23 मार्च, 2008 से लागू होंगे। इससे बस बॉडी डिजाइन में एकरूपता आएगी तथा यात्रियों के आराम और सुविधा में बढ़ोतरी होगी।

4.1.6. वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करने तथा सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2005 बनाने के लिए 7 दिसंबर, 2005 को राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक जांच के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इस समिति ने 21 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों की जांच की गई है और संशोधित सड़क द्वारा वहन विधेयक 2007 तैयार किया गया। सड़क द्वारा वहन विधेयक 2007 लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 7.9.2007 और 10.9.2007 को पारित किया गया। इसके पश्चात्, सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 को 1.10.2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस विधान के अधिनियमन से परिवहन प्रणाली को पारदर्शी तथा सरल बनाने में मदद मिलेगी और सड़क द्वारा माल परिवहन की व्यवस्था और प्रक्रिया आधुनिक होगी। इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व इसके अधीन नियम बनाने के लिए मंत्रालय ने नवंबर, 2007 में एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। इस वर्किंग ग्रुप को 6 माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

4.1.7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के बारे में इस मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसमें विभिन्न यातायात अपराधों के लिए दंड को बढ़ाने, राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने, राज्य परिवहन प्राधिकरणों को और अधिक उत्तरदायी बनाने तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को क्षतिपूर्ति तथा नई/उभरती अपेक्षाओं के अनुसार प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है। 15 मई, 2007 को मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे जांच तथा उपयुक्त सिफारिशों के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

4.1.8. सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के संबंध में एक अलग निकाय की स्थापना पर विचार और सिफारिश करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के प्रतिष्ठित सदस्य श्री एस. सुन्दर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस विभाग को 20 फरवरी, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन बोर्ड

की सिफारिश की है। प्रस्तावित बोर्ड के विनियामक तथा परामर्शी कार्य होंगे। विनियामक कार्य में बोर्ड यांत्रिक रूप से चालित वाहनों के लिए मानक, डिजाइन निर्धारित करेगा और भारतीय सड़क कांग्रेस के परामर्श से राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन, निर्माण और प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित करेगा। परामर्शी कार्यों में बोर्ड सरकार को सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देगा। इस रिपोर्ट मे इस प्रकार के राज्य स्तरीय बोर्डो के सृजन का सुझाव दिया गया है। समिति ने सड़क सुरक्षा निधि के लिए डीजल और पेट्रोल पर कुल उपकर राशि का न्यूनतम एक प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। यह रिपोर्ट राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट की राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन बोर्ड के गठन के लिए सचिवों की समिति के विचार के लिए 10 जनवरी, 2008 को एक नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है।

4.1.9. 14 वें सार्क सम्मेलन की दिल्ली घोषणा में एशियाई विकास बैंक/सार्क सचिवालय द्वारा कराए गए सार्क प्रादेशिक मल्टीमॉडल परिवहन अध्ययन में शामिल सिफारिशों को चरणबद्ध रूप मे जल्द ही कार्यान्वयन करने के लिए कहा गया। सार्क क्षेत्र में संपर्क सुधारने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के प्रयोजनार्थ यह निर्णय लिया गया कि सार्क देशों के परिवहन मंत्रियों की आवधिक बैठकें बुलाई जाए। वर्तमान में, सार्क का अध्यक्ष होने के कारण भारत ने यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई और तदनुसार, सार्क देशों के परिवहन मंत्रियों की पहली बैठक 31 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालद्वीव, नेपाल और श्रीलंका के परिवहन मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक से पूर्व 29 अगस्त, 2007 को तकनीकी परिवहन समिति की बैठक हुई थी और तत्पश्चात 30 अगस्त, 2007 को परिवहन संबंधी अंतर–सरकारी समूह की बैठक हुई थी। इन बैठकों में रेल, सड़क, विमानन और पोत परिवहन क्षेत्रों से संबंधित मामलों के सार्क देशों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इन बैठकों का मुख्य जोर रेल, सड़क, अंतर्देशीय जल मार्ग और विमानन संबंधी शीघ्र कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान कर इन्हें शुरू करके सार्क देशों में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने पर था।

4.1.10. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति पर सभी स्टेक होल्डरों के मतों को अभिनिर्धारित करने के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में दिनांक 1 दिसंबर, 2007 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त (परिवहन), विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं, ऑटोमोबाइल कंपोनेट विनिनिर्माता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाए। सड़क परिवहन नीति के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और विनियामक की भूमिका को परिभाषित करने के लिए इसे पुनः समिति को भेजा जाए। तदनुसार, श्री डी. थंगाराज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उनसे इस मामले पर विचार करने तथा राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति पर अपनी रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र देने का अनुरोध किया गया।

4.1.11. दिल्ली–लाहौर, अमृतसर–लाहौर और अमृतसर–ननकाना साहिब बस सेवा पर भारत पाकिस्तान स्थाई समिति की पहली बैठक 21 फरवरी, 2008 को नई दिल्ली में हुई।

4.1.12. यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली लाहौर बस सेवा दोनों ओर से एक सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर तीन बार की जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि बस किराए को युक्तियुक्त बनाया जाए और वापिसी टिकट के कोटे को 6 सीट से बढ़ाकर 10 सीट किया जाए।

4.1.13. इस बात पर भी सहमति हुई कि अमृतसर–ननकाना साहिब बस सेवा रास्ते में लाहौर में रुकेगी ताकि यात्री यहां से चढ़ और उतर सकें। जबकि लाहौर–अमृतसर बस सेवा मौजूदा व्यवस्था के अनुसार चलती रहेगी।

4.1.14. भारत यान विनियमन को समरूप बनाने के लिए विश्व मंच (डब्ल्यू–पी 29) और इसकी आनुषंगिक निकायों की बैठकों में एक पर्यवेक्षक की हैसियत से नियमित रूप से भाग ले रहा है। विश्व मानकों मे अनुरूप हमारे सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों को बनाने के लिए और भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को शेष विश्व के साथ जोड़ने में सहायता करने के लिए भारत ने डब्ल्यू पी 29 द्वारा प्रशासित विश्व तकनीकी विनियमन समझौता 1998 पर 21.4.2006 को अपनी सहमति दे दी। तब से डब्ल्यू पी 29 की वर्ष में मार्च, जून और नवंबर में तीन बार होने वाली बैठकों में सरकार और उद्योग का प्रतिनिधि मंडल नियमित रूप से भाग ले रहा है। सड़क परिवहन और राजामार्ग विभाग डब्ल्यू पी 29 समझौता 1958 पर हस्ताक्षर करने से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है, जो यानों और चोरी रोकने की आवश्यकता के संबंध में एक समान मानकों को स्थापित करने के बारे में है।

4.1.15. यह विभाग स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा के बारे में जन–जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक क्रिया–कलापों का भी आयोजन करता है। इनमें सेमिनार, कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, होर्डिंग लगाना, प्रचार सामग्री का मुद्रण तथा सड़क सुरक्षा संदेशों के प्रचार के लिए प्रिन्ट, दृश्य और श्रव्य मीडिया का उपयोग शामिल हैं।

4.1.16. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद में राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों के लिए 20 कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को सड़क परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण पहलुओं के सबंध में नवीनतम गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण देना है।

सड़क सुरक्षा

4.1.17. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की दसवीं बैठक 21 अप्रैल, 2007 को कोयम्बटूर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन मंत्री, पुलिस महानिदेशक, परिवहन सचिवों/परिवहन आयुक्तों, परिवहन प्रचालन संगठनों के प्रतिनिधियों, सड़क सुरक्षा संबंधी गैर–सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक के विचार–विमर्श के अनुसरण में, परिवहन मंत्री, तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो अति लदान, स्पीड गवर्नर लगाने तथा अन्य सड़क सुरक्षा उपायों की जांच करेगा।

4.1.18. यह विभाग सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करता है। विभाग द्वारा तैयार की गई और प्रबंधित महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

4.1.19. वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए–

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया में व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाए गए। इन अभियानों में सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश के साथ कलैंडर का मुद्रण, रेडियो झलकियों का प्रसारण, कंप्यूटरीकृत सजीव प्रदर्शन आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सड़क सुरक्षा संबंधी टी.वी झलकियां प्रसारित की जा रही हैं। सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता लाने के लिए आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में झलकियों का प्रसारण किया जा रहा है। कलैंडर, पेम्फलेट, पोस्टर आदि प्रचार–सामग्री, वितरण के लिए गैर–सरकारी संगठनों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान की जाती है।

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए वर्ष 2007–08 के दौरान 121 गैर–सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया।

- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन निर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि में सहयोग से 1 से 7 जनवरी, 2008 तक 19 वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस बार इसका विषय था ''सावधानी से चलें–सुरक्षित चलें''।

- असंगठित क्षेत्र मे भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्कीम के अतंर्गत चालू वर्ष में 59,000 से अधिक चालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

- आदर्श चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना के लिए उत्तराखंड सरकार तथा चालक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, दिल्ली को वित्तीय सहयता दी गई।

- राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अतंर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और गैर–सरकारी सगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं ताकि दुर्घटना स्थल को साफ किया जा सके और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केंद्र पहुंचाया जा सके। चालू वर्ष के दौरान 30 क्रेनें और 100 एम्बुलेंस राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/ गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाएंगी।

अभी तक 252 क्रेनें और 437 एम्बुलेंस स्वीकृत की गई हैं, जिनका वर्ष–वार व्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	क्रेन	एम्बुलेंस
2000–01	–	41
2001–02	22	28
2002–03	48	43
2003–04	60	64
2004–05	61	90
2005–06	–	–
2006–07	31	71
2007–08	30	100

देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

4.1.20. हालांकि देश में परिवहन के व्यक्तिगत साधनों का तीव्रता से विकास हुआ है फिर भी सार्वजनिक परिहवन की एक अधूरी बढ़ी मांग को पूरा करने की आवश्यकता है। भारत में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में मुख्यतः राज्य स्वामित्व वाले सड़क परिवहन, उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई यात्री बस परिवहन सेवा तथा राज्य वाहन परिमिटों के अधीन निजी संचालकों द्वारा चलाई जा रही बसें शामिल हैं। चूकि यात्री सड़क परिवहन सेवा में गुणता और संख्या दोनों ही दृष्टि से वांछित वृद्धि नहीं हुई है। अतः परिवहन के व्यक्तिगत साधनों में असाधारण वृद्धि के कारण यातायात जाम, प्रदूषण इत्यादि की समस्याएं पैदा हुई हैं। विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने उनकी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए अर्थ क्षमता अंतर वित्त–पोषण प्रणाली के माध्यम से उन्हें सहायता देने के लिए अर्थ क्षमता अंतर वित्त पोषण प्रणाली के माध्यम से उन्हें सहायता देने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए कतिपय सुधारों के अधीन यह सहायता दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में पहल

4.1.21. सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए 121 गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किए गए हैं उनमें से 09 पूर्वोत्तर राज्यों के हैं।

अध्याय V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

यह विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास पर विशेष ध्यान देता रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कुल आंबटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाता है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6,880 कि0मी0 है तथा विकास और अनुरक्षण कार्य तीन एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 6,880 कि.मी. की कुल लंबाई में से, लगभग 3,336 कि.मी. सीमा सड़क संगठन के पास है और 2,844 कि.मी. संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के पास है। शेष 700 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।

5.1.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2007–08 (फरवरी, 2008 तक) के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके विकास और अनुरक्षण कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं:–

(i) एन एच डी पी चरण – III के अंतर्गत लंबाई 1051 कि.मी.

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई–

चरण 'क' 1889 कि.मी.

चरण 'ख' 1957 कि.मी.

5.1.3. एन एच डी पी चरण – III के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के ब्योरे **अनुबंध – IV** में दिए गए हैं।

5.1.4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण – 'क' और चरण – 'ख' के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो और राज्यीय सड़कों की लंबाई के राज्यवार ब्योरे क्रमशः **अनुबंध – V** और **अनुबंध –VI** में दिए गए हैं।

5.1.5. अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 215.77 करोड़ रुपए की लागत की 32 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

5.1.6. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 511.53 करोड़ रुपए की धनराशि के 196 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.1.7. राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत स्वीकृत 447.11 करोड़ रु. के 98 कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.8. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्योरे इस प्रकार हैं:–

अरूणाचल प्रदेश

5.1.9. 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, 20.62 करोड़ रुपए के पांच सुधार कार्य प्रगति पर हैं। अभी तक लोक निर्माण विभाग के पास 32.6 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 30 किलोमीटर में पहले ही सुधार कार्य किया जा चुका है और शेष लंबाई में यह कार्य प्रगति पर है।

5.1.10. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 143.16 करोड़ रुपए के 41 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.1.11 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 46.71 करोड़ रुपए की धनराशि के 4 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, 2007–08 के दौरान 25.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का एक कार्य सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है।

5.1.12. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण – 'क' के अंतर्गत रा.रा. 153 के 32 कि.मी. में 2 लेन के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया गया है।

असम

5.1.13. 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 87.34 करोड़ रुपए की धनराशि के 11 सुधार कार्यों सहित 134.73 करोड़ रु. के 33 सुधार कार्य चल रहे हैं।

5.1.14. असम में लुमडिंग – डबोका – नौगांव – गुहावाटी से होकर सिलचर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 678 कि.मी लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II के अंतर्गत पूर्व–पश्चिम महामार्ग के भाग के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। उदरबंद और हरंगाजो की 31 कि.मी लंबाई जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए पुनर्संरेखण प्रगति पर है, को छोड़कर असम में पूर्व–पश्चिम महामार्ग की संपूर्ण लंबाई सौंप दी गई है और इसमें चार लेन बनाने का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। 18 कि.मी लंबे गुहावाटी बाइपास का कार्य पूरा कर लिया गया है।

15.1.15 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 238.53 करोड़ रु. के 77 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.1.16. अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 21.67 करोड़ रुपए की लागत के 10 कार्य प्रगति पर हैं और आईएससी स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष 2007–08 के दौरान 13.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के तीन कार्य सिद्धांत रूप में अनुमोदित किए गए हैं।

5.1.17. सरकार ने ''पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम'' के चरण 'क' के अंतर्गत असम में रा.रा. 37 को नगांव से डिब्रूगढ़ (315 कि.मी) तक बीओटी (वार्षिकी) आधार पर 4 लेन का बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के 734 कि.मी एकल लेन खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मणिपुर

5.1.18 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, तीन पुलों पर 9.79 करोड़ रुपए की लागत के कार्य सहित 100.22 करोड़ रु. मूल्य के 20 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.19. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 31.43 करोड़ रुपए की लागत के 12 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष 2007–08 में ईएंडआई स्कीम के अंतर्गत 8.94 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित किया गया है।

मेघालय

5.1.20. 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, 124.13 करोड़ रु0 के 27 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.21 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, अब तक 48.82 करोड़ रुपए के 20 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 4.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक पुल कार्य प्रगति पर है।

5.1.22. सरकार ने बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 40 के बड़ापानी से जोरबाट को 4 लेन का बनाने तथा शिलॉग बाइपास का 2 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन दिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण – 'क' के अंतर्गत फ्लाइओवर के साथ–साथ शिलौंग शहर के भाग में राष्ट्रीय राजामार्ग 40 और 44 के 54 कि.मी. के सुधार और जवाई बाईपास के 10 कि.मी के कार्यान्वयन को अनुमोदन दिया है।

मिजोरम

5.1.23. 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, 53.39 करोड़ रुपए के 11 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.24. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 32.64 करोड़ रुपए की धनराशि के 10 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 28.16 करोड़ रुपए के दो कार्य प्रगति पर हैं। चालू वर्ष 2007–08 के दौरान आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 27.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 2 कार्यों को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया है।

5.1.25. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण – 'क' के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 54 और 154 के 102 कि.मी में 2 लेन के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया गया है।

नागालैंड

5.1.26. 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, 48.49 करोड़ रुपए के 10 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.27 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अब तक 33.06 करोड़ रुपए के 12 कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत 20.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 3 कार्य प्रगति पर है। आर्थिक महत्व के अंतर्गत 62.76 करोड़ रुपए धनराशि के चार कार्य अनुमोदित किए गए है और प्रगति पर हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान ईएंडआई और आईएससी स्कीम के अंतर्गत क्रमशः 21.49 करोड़ रु0 और 24.02 करोड़ रुपए के दो कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

5.1.28. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण – क के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के दीमापुर से कोहिमा तक के 80 कि.मी खंड में बी ओ टी (वार्षिकी) के आधार पर 4 लेन कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है।

सिक्किम

5.1.29. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 18.43 करोड़ रु. मूल्य के 20 कार्य शुरू किए गए हैं। अंतर्राज्यीय सड़क–संपर्क और आर्थिक–महत्व स्कीम के अंतर्गत 77.93 करोड़ रु. की लागत के 8 कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007–08 के दौरान आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 14.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 2 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

5.1.30. सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण–क के अंतर्गत

राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए के सिवोक से गंगटोक खंड में 80 कि.मी को बी ओ टो (वार्षिकी) आधार पर 2 लेन के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है।

त्रिपुरा

5.1.31. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 33.52 करोड़ रुपए के 9 कार्य शुरू किए गए हैं। आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 14.89 करोड़ रुपए के 3 कार्य प्रगति पर हैं।

5.1.32 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण–क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के अगरतल्ला से होते हुए चुराईबाही से सबरूम तक की संपूर्ण 330 कि.मी की लंबाई को ई पी सी के आधार पर निविदा आमंत्रित करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

अध्याय VI

अनुसंधान और विकास

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का उद्देश्य सड़क एवं पुलों के लिए विनिर्देशों को अद्यतन करना तथा राजमार्ग के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए नए परीक्षण उपस्करों, नवीनतम विकसित निर्माण सामग्री और तकनीकों का समावेश करना है। देश में आधुनिक निर्माण मशीनरी की उपलब्धता के कारण सड़क कार्यों के लिए विनिर्देशों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता है। निर्माण कार्य की गुणता की जांच के लिए नए परीक्षण उपकरण तीव्र गति वाले और विश्वसनीय हैं। उपस्करों को कैलिबिरेट करने और उपयोग में लाने से पूर्व समझने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार परियोजना में नई सामग्री और निर्माण तकनीकों का प्रयोग करने से पूर्व इनका प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन में परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से नए दिशा निर्देशों के प्रकाशन, पद्धति संहिता, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन और इस मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों और अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है। विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः 'अनुप्रयुक्त' स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग द्वारा अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं। इनमे सड़क, सड़क परिवहन, पुल यातायात और परिवहन इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र आते हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभाग विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की सहायता लेता है। अनुसंधान कार्य देश में सड़क नेटवर्क के विकास में सहायता कर रहा है।

6.1.2. वर्ष 2007–08 में अनुसंधान और विकास के लिए बजट प्राक्कलन में 850.00 लाख रुपए और संशोधित प्राक्कलन में 1.86 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

वर्ष 2007–08 में पूरी की गई अनुसंधान और विकास स्कीमें

पुल

- केबल आधारित पुल डेक की एयरोडायनैमिक स्थिरता के लिए अध्ययन करना।
- हाई स्ट्रीम वेलोसिटीज के तहत बोल्ड्री बेड्स में स्कॉर डैप्थ (जरनल बैड, चैनल कांट्रेक्सन और पुल पीअर) का निर्धारण।

2007–08 में पूरी होने वाली अनुसंधान और विकास स्कीमें

सड़कें

- 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मैनुअल का मुद्रण।
- सड़क और अवसंरचना पर अति लदान के प्रभाव पर प्रायोगिक अध्ययन।

चालू वर्ष में चल रही शेष स्कीमें

सड़कें

- शोधित बाइंडर के साथ बिटुमनस मिक्स के क्षेत्रीय निष्पादन की जांच करना।
- राजमार्ग इंजीनियरी में सोएल टेक्नीक के लिए दिशा–निर्देश।
- प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा समर्थित इंस्टुमेंटेशन का प्रयोग करके उच्च यातायात सघनता वाले कॉरीडारों पर रिजिड पेवमेंट के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान व विकास अध्ययन।

पुल

- सी आर आर आई में विस्तार जोड़ों की पूर्ण परीक्षण सुविधाओं की स्थापना।

यातायात और परिवहन

- जी आई एस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली का विकास।

विचाराधीन प्रस्ताव

सड़कें

- फालिंग वेट डिफलेक्टोमीटर का उपयोग करके फ्लैक्सिबल पेवमेंट का ढांचागत मूल्यांकन करना और युक्तिसंगत डिजाइन पद्धति का विकास करना।
- बिटुमिनस बाइंडर की आयु की जांच करना।
- सड़क तथा तटबंध के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश एग्रीगेट का उपयोग करना।
- काली कपासी मिट्टी के क्षेत्रों में पेवमेंट के क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से डिजाइन और निर्माण मैनुअल का विकास करना।
- बिटुमनस मिक्स के लिए निष्पादन आधारित विनिर्देशों का विकास।
- मृदा सीमेंट और सीमेंट ट्रीटिड ग्रेनूलर बेस के साथ बिटुमिनस पेव्मेन्टस के मैकेनिस्टिक डिजाइन के लिए अन्वेषण।
- राजमार्ग इंजीनियरों में सॉयल नेलिंग टेक्नीक के लिए दिशा–निर्देश।
- अत्यधिक यातायात वाली सड़कों की रिसर्फेसिंग के लिए उच्च निष्पादन रिइनफोर्सड कंक्रीट का उपयोग करके अल्ट्राथिन व्हाइट टॉपिंग का अध्ययन।
- राजमार्ग कोरिडोर के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन से पूर्व और बाद के लिए नियम पुस्तिका का विकास।

- प्राथमिक और गौण सड़कों की सड़क सुरक्षा का अध्ययन।
- निम्न वैल्यूम कंक्रीट पेवमेंटों का निष्पादन।

पुल

- पुलों की अवशिष्ट क्षमता के आकलन के लिए स्टेटिक और डायनमिक रेसपोंस टेस्ट डाटा का उपयोग करके क्षति खोज प्रणाली विकसित करना।
- नवीन तकनीक का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग पुलों का डाइगनोस्टिक कोरोजन इंस्पेक्शन करना।
- विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में पुलों की रीट्रोफिटिंग के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना।

परिवहन अनुसंधान

6.1.3. परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को अपेक्षित अनुसंधान सामग्री और विश्लेषण तथा डाटा सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह सड़क परिवहन और समुद्री परिवहन की नीति योजना, समन्वय और निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।

6.1.4. परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़कों, परिवहन, पत्तनों, नौवहन, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, वितरण और विश्लेषण भी करता है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों अर्थात् केंद्र सरकार, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा एकत्र करने होते हैं। विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है तथा सुसंगता तथा तुलनात्मकता की दृष्टि से परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशन संकलित किए जाते हैं।

6.1.5. परिवहन अनुसंधान पक्ष ने सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका–2003–04 प्रकाशित की है। इस प्रकाशन में विभिन्न मोटर परिवहन मापदंड के अतिरिक्त, सड़क परिवहन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना, यातायात का इन्टर मॉडल हिस्सा, सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान आदि शामिल होता है। सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका 2005–06 के तीसरे अंक के प्रकाशन से संबंधित कार्य चल रहा है।

6.1.6. परिवहन अनुसंधान पक्ष, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन के आकलन और उस पर निगरानी रखने के लिए, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा को तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है। यह राष्ट्रीय स्तर का प्रकाशन है, जो राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और भौतिक निष्पादन पर निगरानी रखता है। वर्ष 2007–08 के दौरान अभी तक तीन तिमाही और एक वार्षिक प्रकाशन अर्थात् सितम्बर–दिसंबर, 2005, 2005–06 (अप्रैल–मार्च) अप्रैल–जून, 2006 और जुलाई–सितम्बर, 2006 रिलीज किए गए।

6.1.7. देश के लिए सूचना डाटा सिस्टम में सुधार के लिए, यूनेस्केप द्वारा प्रायोजित एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना चल रही है। इस परियोजना के लिए देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 23 महानगरों के लिए सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित

आंकडे विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फार्मेट में एकत्रित, संकलित और मिलाए जाते हैं। वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 के लिए आंकड़े 19 मद वाले फार्मेट के अनुसार एकत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, परिवहन अनुसंधान विंग में 19 मद वाले फार्मेट में एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर भारत में दुर्घटना का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। वर्ष 2006 में भारत में सड़क दुर्घटना : 2004 के प्रथम अंक में इस मुद्दे से संबंधित व्यापक विश्लेषण प्रकाशित किया गया और इसके बाद वर्ष 2007 में भारत में सड़क दुर्घटना : 2005 दूसरा अंक प्रकाशित किया गया।

रा. रा. – 4 पर कटराज घाट बाइपास पर सुरंग

अध्याय VII

सीमा सड़क संगठन

रा. रा. 16 आंध्र प्रदेश खंड पर आर डी
चेन्नूर–अर्जुन गुट्टा पर बीएम

सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक छोटा सा अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है। इसने मई, 1960 में केवल दो परियोजनाओं– पूर्व में परियोजना टस्कर (जिसका नाम बदल कर परियोजना वरतक रखा गया) और पश्चिम में परियोजना बेकॉन के साथ अपने प्रचालनों की शुरूआत की थी। यह आज बढ़कर 13 परियोजनाओं वाला कार्यपालक बल हो गया है और इसकी सहायता के लिए एक पूर्ण रूप से संगठित भर्ती/प्रशिक्षण केंद्र हैं, संयंत्र/उपस्कर मरम्मत के लिए दो पूर्ण रूप से सुसज्जित बेस कार्यशालाएं हैं तथा माल–सूची प्रबंधन के लिए दो इंजीनियर भंडार डिपो हैं।

7.1.2. सीमा सड़क संगठन न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के साथ जोड़ता है बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का भी विकास करता है।

सीमा सड़क संगठन के कार्य

7.1.3. सीमा सड़क संगठन का गठन रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप सीमा क्षेत्रों में सड़कों जिन्हें सामान्य स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के निर्माण और अनुरक्षण के लिए किया गया था। सामान्य स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग द्वारा सीमा सड़क विकास बोर्ड को उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है।

7.1.4. जी एस सड़कों के अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध–सरकारी संगठनों ने हवाई क्षेत्र, स्थायी इस्पात एवं पूर्व–प्रबलित कंक्रीट पुलों, आवास परियोजनाओं और सुरंगों के निर्माण में कार्य करके अपने कार्यों का विविधीकरण किया है।

रा. रा. – 1ए को चार लेन का बनाना

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस संगठन की विविध क्षमताओं को देखते हुए 1355.82 करोड़ रु. अनुमानित लागत से 8.80 कि.मी लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य सौंपा गया। इससे संगठन के कार्यों में एक नई शुरुआत हुई। निर्माण कार्यों में अभी तक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हुई है। रोहतांग सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार और उत्तरी प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले पहुंच मार्गों की लंबाई क्रमशः 11.750 कि.मी और 0.975 कि.मी. है। फोर्मेशन तथा पी एम टी कार्य पूरी किए गए थे और सर्फेसिंग कार्य पूरे होने वाले हैं। रोहतांग सुरंग को मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है। टेंडर देने के लिए वैश्विक आधार पर 8 फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है। सुरंग बनाने का कार्य 2008 में शुरू करने का प्रस्ताव है।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर–दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर जम्मू से विजयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु. है और कार्य परिवर्तन आदेश के कारण इस परियोजना की संशोधित लागत 101.48 करोड़ रु. अनुमोदित की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राजमार्ग कार्य के लिए पी डी सी हेतु समय–सीमा 30 मई, 2008 तक और पुल

कार्य के लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2009 तक बढ़ाने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी अनुमोदन मिलना शेष है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का चरण–'क' का कुछ कार्य सीमा–सड़क संगठन को सौंपा गया है। इस कार्य में एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों को दो लेने मानकों के अनुरूप सुधार करने का कार्य शामिल है। 2008–09 में पी डी सी के साथ चरण–'क' के अंतर्गत 1619 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 483.227 कि.मी सड़कों को चौडा करने और 2013–14 में पीडीसी के साथ चरण–'ख' में 3431 कि.मी लंबी सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए हैं। ये कार्य वर्ष 2006–07 में प्रारंभ हो चुके हैं।

- सीमा सड़क संगठन को अंडमान ओर निकोबार द्वीप–समूह के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में उत्तर–दक्षिण सड़क (36.45 कि.मी) और पूर्व–पश्चिम सड़क 10 से 41 कि.मी. (31 कि.मी) सड़कों की मरम्मत का कार्य सौंपा गया है। यह कार्य अप्रैल, 2006 में शुरू हुआ। 21.00 कि0मी0 और 11.00 कि0मी0 में कटिंग और फिलिंग कार्य पूरा हो गया है, जी एस बी सी और डब्ल्यू बी एम का सर्फेशिंग कार्य कि.मी. 8.00 और बीटी कार्य कि.मी 1.00 में पूरा किया गया। कार्य की समग्र वास्तविक प्रगति 20.08 प्रतिशत है। कार्य की पी डी सी मार्च, 2009 है।

- प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई जम्मू और कश्मीर के लिए पुननिर्माण योजना के अंतर्गत 94 कि. मी. लंबी श्रीनगर–उरी (राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए) सड़क, 17.25 कि.मी. लंबी उरी–एल ओ सी सड़क का उन्नयन कार्य, 265 कि.मी लंबी बटोत–किश्तकाड–अनंतनाग (रा.रा. 1 बी) को दो लेन का बनाने, 422 कि0मी0 लंबी श्रीनगर–लेह सड़क वाया कारगिल (राष्ट्रीय राजमार्ग 1 डी) को दो लेन का बनाने, 290 कि.मी लंबी नीमू–पदम–दरचा सड़क के निर्माण 14.14 कि0मी0 लंबी डोमेल–कटरा (राष्ट्रीय राजमार्ग 1 सी) सड़क को चौड़ा करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2308.81 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं को वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना है।

अध्याय VIII

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

अधिनियम/नियम/वार्षिक कार्यक्रम

संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग में एक हिन्दी अनुभाग है। यह अनुभाग संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) के समग्र प्रभार में है तथा यह निदेशक और उप–निदेशक (राजभाषा) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निहित सभी संगत उपबंधों के अनुपालन के लिए, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा आदेशों/अनुदेशों को इस विभाग के सभी अधिकारियों, अनुभागों और विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कारवाई करने के लिए परिचालित किया जाता है और इस संबंध में आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

8.1.2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं :–

- संकल्प, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें और प्रेस विज्ञप्तियां।
- संसद के एक सदन अथवा दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें और सरकारी दस्तावेज।
- निष्पादित संविदाएं और करार तथा लाइसेंस, परमिट, नोटिस और जारी की गई निविदा–प्रपत्र।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

8.1.3. माननीय राज्यमंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित है। इस समिति के मुख्य कार्य संविधान में उल्लिखित राजभाषा से संबंधित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम और नियम, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए विभाग को सलाह देना है। हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 5 अक्तूबर, 2007 को कोझिकोड (केरल) में आयोजित की गई थी और समिति की दूसरी बैठक 5 जनवरी, 2008 को गोवा में आयोजित की गई ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

8.1.4. संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यन्वयन समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना और राजभाषा के कार्यान्वयन में कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के उपाय

सुझाना है। इस समिति की दो बैठकें 7 जून, 2007 और 21 नवंबर, 2007 को संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन) की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं/मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

राजभाषा समीक्षा समिति

8.1.5. विभाग के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में एक राजभाषा समीक्षा समिति का भी गठन किया गया है। सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की एक बैठक 1 मई, 2007 को हुई थी।

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

8.1.6. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक–लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग से संबंधित विषयों पर हिन्दी मे मौलिक पुस्तक–लेखन के लिए एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई है। कांस्टीट्यूशन क्लब, विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग नई दिल्ली में 22 अक्तूबर, 2007 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में इस योजना के तहत दो पुस्तकों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

पथ भारती का प्रकाशन

8.1.7. विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने और संबंधित कार्यकलापों का प्रचार करने की दृष्टि से विभागीय हिन्दी पत्रिका 'पथ भारती' का प्रकाशन किया जा रहा है। यह एक अर्ध–वार्षिक पत्रिका है। पथ भारती के प्रथम अंक (जुलाई–दिसंबर, 2006) को जून, 2007 में प्रकाशित किया गया था जिसमें विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों और राजभाषा नीति, साहित्य और सामयिक विषयों से संबंधित लेख शामिल किए गए थे। 'पथ भारती' का द्वितीय अंक (जनवरी–जुलाई, 2007) को दिसंबर, 2007 में प्रकाशित किया गया।

हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाना

8.1.8. विभाग में हिदी के संवर्धन और अधिकारियों को अपना शासकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरक माहौल बनाने की दृष्टि से 14 सितंबर, 2007 को हिंदी दिवस मनाया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 सितंबर, 2007 से 28 सितंबर, 2007 तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभाग के हिंदी और गैर–हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग–अलग 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। माननीय परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री ने 22 अक्तूबर, 2007 को इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष के दौरान एक कार्यशाला और एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

अंगेजी–हिंदी शब्दवली का निर्माण

8.1.9. सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के लिए सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग में समान्यतः प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यांशों को शामिल करते हुए एक अंग्रेजी–हिंदी

शब्दावली तैयार की गई है ताकि आसान और सरल हिंदी पर्याय उपलब्ध हो सके। इसे विभाग के इंट्रानेट पर लोड किया जा रहा है।

राजभाषा से संबंधित निरीक्षण

8.1.10. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2007–08 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस वर्ष के दौरान हैदराबाद स्थित विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यान्वयन इकाइयों और राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों से संबंधित प्रभारी अधिकारियों को अवगत कराया गया और कमियों को दूर करने के लिए निवारक उपाय सुझाए गए।

अध्याय IX

प्रशासन एवं वित्त

प्रशासनः

विभाग के प्रशासनिक पक्ष के प्रमुख संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन) हैं। उनकी सहायता के लिए निदेशक (प्रशासन), उप सचिव (प्रशासन) और विभिन्न स्थापना अनुभागों के अवर सचिव है। यह पक्ष स्थापना और आधारभूत सहायता प्रदान करता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इस विंग को चार स्थापना अनुभागों नामतः स्थापना–1, स्थापना–1 बी, स्थापना–II और स्थापना–II बी अनुभागों में बांटा गया है। स्थापना–I : यह अनुभाग विभाग में सचिवालय अधिकारियों और गैर–तकनीकी स्टाफ के संबंध में व्यक्तिगत मामलों को देखता है। स्थापना–1 बी : यह अनुभाग समूह घ कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों को देखता है। स्थापना –1बी अनुभाग स्थापना समन्वय का कार्य भी देखता है। स्थापना–II : केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है इसके अतिरिक्त यह इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन इत्यादि के समूह 'ख' और 'ग' तकनीकी और गैर–तकनीकी संवर्ग के सेवा प्रबंधन तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित 22 क्षेत्रीय कार्यालयों/इंजीनियर संपर्क कार्यालयों के अन्य अधीनस्थ स्टाफ के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है। स्थापना–II बी अनुभाग : केंद्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा कैडर के साथ–साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक मामलों को देखता है।

9.1.2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचरियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध–VII** में दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

9.1.3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर टी आई एक्ट) को राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून, 2005 को प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21 जून, 2005 को प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए सूचना के अधिकार के अधीन व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।

9.1.4. विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक पृथक आर.टी.आई.

अनुभाग बनाया गया है। नागरिकों से आवेदन–पत्र तथा आवेदन शुल्क प्राप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र तथा कार्यप्रणाली तैयार की गई है। नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय में एकल खिड़की के तौर पर एक जन–सूचना अधिकारी (नोडल अधिकारी) की नियुक्ति सहित देश में विभाग के मुख्यालय और विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संगठनात्मक ढांचे को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अंदर विभाग के जन–सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों को पहले ही पदनामित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न पक्षों/प्रभागों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्रों पर कारवाई करने और उनका निपटान करने के उद्देश्य से पदनामित अधिकारियों (वास्तविक जन सूचना अधिकारी) के रूप में उचित स्तर के अधिकारियों को पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई), एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान (निधि), एक सोसाइटी है जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, दोनों ने अपने–अपने जन–सूचना अधिकारियों/सहायक जन–सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की है।

9.1.5. इस वर्ष के दौरान 29 फरवरी, 2008 तक विभाग में 485 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उनमें से 470 आवेदन पत्रों का निपटान किया जा चुका है। विभाग में अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन अन्य बातों कें साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्गों, देश में प्रमुख पुलों, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर प्लाजाओं, प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंप की संस्थापना को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों, निविदाओं आदि सहित सड़क अवसंरचना से संबंधित व्यापक सूचना मांगने के संबंध में हैं। सड़क परिवहन क्षेत्र में विभाग में इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन–पत्र मोटे तौर पर मोटर यान अधिनियम, 1988 केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 और अधिनियम/नियम के कतिपय प्रावधानों और सड़क सुरक्षा एवं संबंधित पहलुओं के स्पष्टीकरण के बारे में थे। कुछ आवेदन संवर्ग प्रावधान और पदोन्नति, स्थानातंरण, प्रशिक्षण और मंत्रियों के विदेश दौरों आदि जैसे प्रशासनिक और व्यक्तिगत मामलों की सूचना से संबंधित थे।

9.1.6. यह विभाग विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को आर टी आई कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और सम्मेलनों में भेजता है ताकि उनको सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के नवीनतम नियमों और निर्णयों की जानकारी हो सके।

वित्त पक्ष

9.1.7. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार वित्त पक्ष के प्रमुख हैं। उनके काम में निदेशक (वित्त) और एक सहायक वित्त सलाहकार मदद करते हैं।

9.1.8. समन्वित वित्त पक्ष की स्कीम के अनुसार, वित्त सलाहकार का कार्य प्रशासनिक विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों में वित्तीय सलाह देने में प्रशासनिक विभाग के साथ सहयोग करना हैं। वह इस विभाग की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यक्रम निर्धारण करने, बजट बनाने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने के संबंध में वित्तीय सलाह देते हैं। वित्त सलाहकार के

दायित्वों को विस्तार से नीचे बताया गया है :–

- परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति को विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु और वित्त मंत्रालय को बजट मामलों पर प्रस्तुत की जाने वाले सामग्री का समन्वय कार्य करना।

- उन सभी परियोजनाओं जिन पर लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित लोक निवेश बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना।

- व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति को सचिवालयी सहायता भी सुलभ कराना।

- मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त प्रस्तावों और स्कीमों को सहमति सहित वित्तीय सलाह देना।

- पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने में आवश्यक सहयोग देना।

- इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों के आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट संसाधनों का आकलन करना।

- विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी पुनरीक्षा करना।

- सड़क और परिवहन क्षेत्र से संबंधित लगभग 3000 प्रस्तावों की जांच और स्वीकृति प्रदान करना।

- परिणाम/डिलीवरी की यूनिट लागत में विशिष्ट वृद्धि सुनिश्चित करते हुए परिणाम बजट तैयार करने में सहायता, विशिष्ट वस्तुओं के मापयोग्य और निगरानी योग्य परिणामों को परिभाषित करना, उचित मूल्यांकन, कार्यान्वयन, डिलीवरी, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना तथा इच्छित परिणामों की वास्तविक उपलब्धि सुनिश्चित करना।

- निष्पादन बजटों को तैयार करने में सक्रिय रूप से समन्वय करना।

- संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए वित्तीय स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा तिमाही समीक्षा के लिए अपेक्षित समाग्री प्रदान करके वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन संबंधी कार्य करना।

- इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के इष्टतम निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रणनीति तैयार करने में विभाग की सक्रिय रूप से सहायता करना।

- निधियों को स्कीम वार/परियोजना वार/निष्पादनों से जोड़ कर जारी करने के साथ–साथ व्यय प्रबंध सुनिश्चित करना

- बाजार रुख और अन्य क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में विभिन्न गैर कर राजस्व आय की आवधिक समीक्षा करना तथा नियोजित सार्वजनिक संसाधनों से तर्कसंगत आय के बारे में सरकार को सिफारिश करना।

- निरंतर आधार पर परसंपत्तियों और देयताओं पर निगरानी तथा सुधारात्मक कारवाई करना।

- जीरो आधारित बजट विधि के आधार पर योजना स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें इष्टतम उपलब्धि हो और व्यय सीमित हो।

- परियोजनाओं तथा पहले से जारी स्कीमों की प्रगति/निष्पादन का मूल्यांकन करना।

- वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, मितव्ययिता के उपाय करना तथा सभी प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहारिकता का मूल्यांकन करना।

- लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्ट/समीक्षा, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के निपटान पर नजर रखना और लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा विनियोजन लेखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कारवाई सुनिश्चत करना।

- वित्त मंत्रालय को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना।

9.1.9. वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा, वित्त सलाहकार, विभाग के बजट तथा लेखों का भी प्रभारी हैं। उनके दायित्वों में निम्न कार्य भी शामिल हैं :–

(क) यह सुनिश्चत करना कि इस विभाग द्वारा बजट तैयार करते समय अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन हो और वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार हो।

(ख) बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी जांच करना।

(ग) यह सुनिश्चत करना कि विभागीय लेखे सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जाएं।

(घ) स्वीकृत अनुदानों की तुलना में खर्चों की समीक्षा करना और उनकी मानीटरिंग करना।

अध्याय X

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

विभाग, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास कर रहा है। चुने गए और नामित निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है।

10.1.1 विभाग में समूह 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' के तकनीकी और गैर–तकनीकी विभिन्न पदों पर कार्यरत निःशक्त व्यक्तियों की संख्या दिनांक 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार नीचे तालिका 10.1 में दी गई है :–

तालिका 10.1

तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए निःशक्त व्यक्तियों की संख्या
क	207	–
ख	50	02
ग	41	–

गैर–तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	नियुक्त किए गए निःशक्त व्यक्तियों की संख्या
क	43	–
ख	218	–
ग	246	04
घ	203	02

अध्याय XI

सतर्कता

विभाग की सतर्कता यूनिट, विभाग के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह यूनिट मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन कार्य कर रही है। संयुक्त सचिव (परिवहन व प्रशासन) ही मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से ही गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसमें एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

11.1.2 वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्त शिकायतों (केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां अपेक्षित हो) पर कारवाई करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने में प्रत्यायोजन, लोक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना और पब्लिक डीलिंग में पारदर्शिता, इत्यादि शामिल हैं।

11.1.3. वर्ष के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अवर सचिवों, अनुभाग अधिकारियों, सहायकों और अवर श्रेणी लिपिकों के स्तर पर रोटेशनल स्थानांतरण किए गए।

11.1.4 विभाग में 12–16 नवम्बर, 2007 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। विभाग के सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

अध्याय XII

संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण

संगठन एवं पद्धति इकाई

विभाग में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ–साथ विभाग द्वारा अनुसमर्थित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना भी प्रदान करता है। इस काउंटर पर विभिन्न विषयों से संबंधित उपयोगी सामग्री आम लोगों के लिए रखी गई है। जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

12.1.2 कार्यालय पद्धति मैनुअल के अनुसार, विभाग में सभी अनुभागों/डेस्कों का वार्षिक संगठन एवं पद्धति संबंधी निरीक्षण किया गया है तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय कार्यान्वित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर 'सचिव के लिए कार्यपालक सारांश' तैयार किए जाता है तथा सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की टिप्पणी के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

12.1.3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में विभाग में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है। उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में भी पदनामित किया गया है। लोक शिकायतों पर तुरंत कारवाई की जाती है और तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाईयों को भेज दिया जाता है। लोक शिकायत निदेशक द्वारा शिकायतों की आवधिक/मासिक समीक्षा की जाती है तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी तंत्र (पी जी आर ए एम एस) भी इस विभाग में कार्य कर रहा है।

12.1.4. विभाग में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। वे शिकायत अर्जी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन सायं 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा, संयुक्त सचिव (प्रशासन) भी इस काम के लिए महीने के दूसरे सोमवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच उपलब्ध रहते हैं। उस दिन उपलब्ध न होने पर वे अगले दिन दूसरे मंगलवार को उपलब्ध होते हैं।

12.1.5. विभागीय कार्य की जानकारी देने, अतिरिक्त सूचना के लिए संपर्क किए जाने वाले कार्मिकों, शिकायतों के निपटान आदि की सूचना प्रदान करने के लिए एक नागरिक चार्टर प्रकाशित किया गया है और इसे विभाग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है जिसको नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

अभिलेख प्रकोष्ठ

12.1.6. रिकार्डों के प्रबंधन की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2007–08 के दौरान पुराने रिकार्डों को रिकार्ड करने, उनकी समीक्षा करने तथा नष्ट करने के लिए ''विशेष अभियान'' चलाए गए। दिसंबर, 2007 तक, 4,282 फाइलों की समीक्षा की गई, 1,239 फाइलों को रिकार्ड किया गया और 1,617 फाइलों को नष्ट किया गया। 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी रिकार्डों को स्थायी रूप से रखे जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिया गया है।

रा. रा. 5 का 512 तुनी–अनकापल्ली खंड

अध्याय XIII

विभागीय लेखा संगठन और ढांचा

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के लेखा और बजट पक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं। मुख्य नियंत्रक का कार्यालय अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय के सभी प्रधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के संकलन, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने, वित्तीय एवं लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने, लेखा महानियंत्रक, सी एण्ड ए जी, वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ रोकड़ प्रबंधन और समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है।

13.1.2 मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन में मुख्य लेखा नियंत्रक (संयुक्त सचिव के वेतनमान में), एक लेखा–नियंत्रक (उप सचिव/निदेशक के वेतनमान में), दो उप लेखा नियंत्रक और 9 क्षेत्रीय भुगतान और लेखा–अधिकारी (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ, जयपुर, बंगलौर, लखनऊ और गुवाहाटी) शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) और एक लेखाधिकारी (बजट) हैं।

13.1.3 मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यलय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं :–

1. भुगतान

- मंत्रालय की ओर से अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए प्री–चेक बिलों की जांच के बाद भुगतान मंजूर करना।
- विभाग की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्रधिकार प्रदान करना।

2. प्राप्तियां

- सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की प्राप्तियों की बजटिंग, लेखांकन और मिलान करना।
- राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त ऋण और ब्याज की अदायगी की मॉनिटरिंग करना।

3. लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- मासिक लेखा, वार्षिक विनियोजन लेखा, केन्द्रीय लेन–देन विवरण तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत करना।
- आंतरिक और बाह्य बजट संसाधनों की मॉनटरिंग करना और इसे सी जी ए कार्यालय में प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य

सूचना की निगरानी और उसे प्रस्तुत करना।

- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपार्टें तैयार करना।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आय और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना।

4. बजट

- पोत परिवहन, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन, पुनर्विनियोजन तैयार करना और प्रस्तुत करना। बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वयन करना।
- भारत के सी एण्ड ए जी (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट' के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना।

5. आंतरिक लेखा परीक्षा

- मंत्रालय की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण कार्य में शामिल राज्यों के लोक निमार्ण विभागों की परीक्षण जांच करना।
- विभाग की वार्षिक आंतरिक लेखा रिपोर्ट तैयार करना।

लेखों का कंप्यूटरीकरण

13.1.4 लेखों को संकलित करने में विलंब को दूर करने तथा समय पर और शुद्ध आधार पर व्यय संबंधी लेखों की सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में इस समय विभिन्न सोफ्टवेयर पैकेजों जैसे कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, सीपीएफएम, ई–लेखा आदि का उपयोग किया जा रहा है।

कॉम्पेक्ट : व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसके द्वारा प्री–चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन और संकलन जैसे मुख्य लेखा कार्य किए जा रहे हैं।

कांन्टेक्ट : मासिक लेखों के संकलन के लिए इसका प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है।

सीपीएफएम : 1 जनवरी, 2004 को और उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के रख–रखाव के लिए अंशदान पेंशन निधि प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

ई–लेखा : यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा लेखांकन सूचना दैनिक /मासिक एमआइएस तैयार किया जाता है।

13.1.5. वर्ष 2006–07 के लिए अनुदान संख्या–85 के संबंध में बचत/व्यय अधिक्य की स्थिति को **अनुबंध–VIII** में दर्शाया गया है।

13.1.6. वर्ष 2006–07 के लिए निधियों के स्रोत और उपयोग (अनुप्रयोग) को क्रमशः **अनुबंध IX** और **अनुबंध– X** में दर्शाया गया है।

अध्याय XIV

विविध

महिलाओं के मुद्दों से संबंधित सरकारी नीतियां

यह विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इस तरह, लिंग आधारित समस्याओं पर इसकी कोई विशिष्ट स्कीमें और नीतियां नहीं हैं। विभाग द्वारा की गई सड़क सुरक्षा संबंधी पहल में लिंग अथवा आयु का कोई भेदभाव नहीं होता है।

नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों का सारांश

14.1.2 इस विभाग के संबंध में नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों में उल्लिखित लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश **अनुबंध–XI** में दिया गया है।

अनुबंध–1

[पैरा 3.1.2]

देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (क.मी.)
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 और 222	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए और 153	392
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2184
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 और 24	72
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई– I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3245
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, और एन ई–II	1512
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 72, 88, और 73ए	1208
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, और 100	1805
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, और 218	3843
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213 और 220	1457
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	4670

17.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211, और 222	4176
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पांडिचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5585
26.	सिक्किम	31ए	62
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, और 227	4462
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	1991
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119 और एनई–II	5874
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2524
32.	अंडमान और निकोबार	223	300
		जोड़	**66754**

अनुबंध–II

[पैरा 3.1.23]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण– VII

स्टेंड अलोन रिंग रोड़ों, बाइपासों, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरेटिड इंटर–सेक्शनों और फ्लाईओवरों के लिए शहरों की अनंतिम सूची

क्र. सं.	परियोजना शहर का नाम	क्र. सं.	परियोजना शहर का नाम
1.	हैदराबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास	11.	रा.रा. – 221 और रा.रा.–222 के जंक्शन पर पाडलसिंघी और गांधी में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/ फ्लाइओवर
2.	तिरुनवेल्ली के लिए रिंग रोड/बाइपास	12.	मदुरै के लिए रिंग रोड/बाइपास
3.	कानपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास	13.	पटना के लिए रिंग रोड/बाइपास
4.	रा. रा. –75 पर रांची में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाइओवर	14.	तिरुवंतपुरम के लिए रिंग रोड/बाइपस
5.	त्रिच्चुरापल्ली के लिए रिंग रोड/ बाइपास	15.	सूरत के लिए रिंग रोड/बाइपास
6.	नासिक के लिए रिंग रोड/बाइपास	16.	अलीगढ़ के लिए रिंग रोड/बाइपास
7.	रा. रा. –9 और रा. रा. 211 के जंक्शन पर शोलापुर में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाइओवर	17.	बंगलौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
8.	चेन्नै के लिए रिंग रोड/बाइपास	18.	रा. रा.–50 और रा. रा.–222 के जंक्शन पर ऐलाफाटा में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/ फ्लाईओवर
9.	जयपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास	19.	अहमदाबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
10.	अमृतसर के लिए रिंग रोड/बाइपास	20.	विशाखापत्तनम के लिए रिंग रोड/ बाइपास

21.	जम्मू और श्रीनगर के लिए रिंग रोड/बाइपास	29.	इंदौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
22.	कोलकाता के लिए रिंग रोड/बाइपास	30.	लखनऊ के लिए रिंग रोड/बाइपास
23.	चैन्नै पत्तन के लिए उत्थापित लिंक रोड	31.	इंफाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
24..	मेरठ के लिए रिंग रोड/बाइपास	32.	पुणे के लिए रिंग रोड/बाइपास
25.	कोयम्बटूर के लिए रिंग रोड/बाइपास	33.	वाराणसी के लिए रिंग रोड/बाइपास
26.	भोपाल के लिए रिंग रोड/बाइपास	34.	धनबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
27.	सलेम के लिए रिंग रोड/बाइपास	35.	रांची के लिए रिंग रोड/बाइपास
28.	नागपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास	36.	रा.रा.–17 और रा.रा.–204 के जंक्शन पर रत्नगिरि के निकट ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/ फ्लाइओवर

अनुबंध–III

[पैरा 3.1.35]

वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धनराशि का राज्यवार आबंटन

(करोड रु0)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास हेतु		अनुरक्षण हेतु
		रा. रा (मूल)	पीबीएफएफ	
1.	आंध्र प्रदेश	80.00	6.44	68.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	0.00	0.87
3.	असम	48.00	1.96	31.01
4.	बिहार	90.00	13.82	34.51
5.	चंडीगढ़	2.00	0.00	0.83
6.	छत्तीसगढ़	55.00	3.19	25.90
7.	दिल्ली	17.00	0.00	0.00
8.	गोवा	15.00	0.00	4.57
9.	गुजरात	65.00	5.70	33.01
10.	हरियाणा	60.00	0.00	14.17
11.	हिमाचल प्रदेश	50.00	0.00	16.45
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	53.00	0.00	22.61
14.	कर्नाटक	82.00	4.71	39.44
15.	केरल	60.00	8.48	27.53
16.	मध्य प्रदेश	80.00	15.88	60.68
17.	महाराष्ट्र	120.00	8.76	55.30
18.	मणिपुर	10.00	0.14	12.10
19.	मेघालय	18.00	0.88	11.59

20.	मिजोरम	13.00	0.00	5.43
21.	नागालैंड	7.00	0.00	4.64
22.	उड़ीसा	85.00	1.81	44.01
23.	पांडिचेरी	8.50	0.00	1.41
24.	पंजाब	70.00	3.05	18.42
25.	राजस्थान	85.00	4.18	61.13
26.	तमिलनाडु	90.00	2.78	27.75
27.	उत्तर प्रदेश	135.00	5.87	56.74
28.	उत्तरांचल	60.00	2.35	19.09
29.	पश्चिम बंगाल	65.00	0.00	19.51
	अभी आबंटित किया जाना है			5.74
	उप जोड़	1527.50	90.00	723.32
	मंत्रालय के कोष से एन एच ए आई को आबंटित धनराशि	265.00		60.00
	यात्रा व्यय	1.76		
	मशीनरी और उपस्कर	38.25		
	रेल सड़क पुल मुंगेर, पटना	120.00		
	राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर होस्पेट–बेल्लारी खंड, कर्नाटक	0.65		
	स्वतंत्र इंजीनियर, कटनी बाइपास, म.प्र.	0.70		
	यातायात गणना			10.00
	आरक्षित	25.15		1.00
	जोड़	**1979.01**	**90.00**	**794.32**

अनुबंध–IV

[पैरा 5.1.3]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत खंडों की सूची

कुल लंबाई 1051 कि.मी. है।

असम

क्रम संख्या	रा.रा.सं.	खंड / कॉरिडोर	लंबाई (कि.मी.)
1.	36	डाबोका–असम / नागालैंड सीमा	124
2.	44	असम / मेघालय सीमा से असम / त्रिपुरा सीमा	116
3.	52	बैहाटा चार्ली–बंदेरदेवा	314
4.	52ए	बंदेरदेवा–असम / अरुणाचल प्रदेश सीमा	9
5.	54	सिल्चर–असम / मिजोरम सीमा	50
			613

अरुणाचल प्रदेश

1.	52ए	ईटानगर–असम / अरुणाचल प्रदेश सीमा	22
			22

मणीपुर

1.	39	नागालैंड / मणिपुर सीमा–इम्फाल	112
			112

मेघालय

1.	44	शिलौंग (शिलौंग बाइपास–असम / मेघालय सीमा छोड़कर)	136
			136

मिजोरम

1.	54	असम / मिजोरम सीमा–आइजोल	140
			140

असम

1.	39	कोहिमा / नागालैंड / मणिपुर सीमा	28
2.	36	असम / नागालैंड सीमा से दीमापुर	
			28

अनुबंध V
[पैरा 5.1.4]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत खंडों की सूची

क्रम सं.	राज्य	कार्य का स्वरूप	सड़क की श्रेणी	सड़क लंबाई (कि.मी. में)
1	असम	नौगांव–डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग–37 के मौजूदा 2 लेन का 4 लेन का बनाना	रा.रा.	315
2	मेघालय	रा.रा. 40 और रा.रा.–44 (2 लेन) को जोड़ने वाले नए शिलौंग बाइपास का निर्माण	रा.रा.	50
3	मेघालय	रा.रा.–40 पर जोरबाट से बारापानी तक के मौजूदा 2 लेन खंड को चार लेन का बनाना	रा.रा.	62
4	नागालैंड	रा.रा.–39 पर दीमापुर/कोहिमा बाइपास सहित दीमापुर से कोहिमा तक चार लेन का बनाना	रा.रा.	81
5	सिक्किम/ पश्चिम बंगाल	विद्यमान रा.रा.–31 ए को शिवोक से गंगटोक तक खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना	रा.रा.	80
6	असम	सिल्चर बाइपास सहित रा.रा 36, 51, 52, 53, 54, 61, 152 153 और 154 के मौजूदा एकल सड़क खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	576
		जोड़	रा.रा.	**1164**
7.	मणिपुर /नागालैंड	मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए मारम से पारेन तक राज्यीय सड़क को दो लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	116
8.	अरुणाचल प्रदेश	डुंडुघर से होते हुए लुबंला से ताशिंगोंग तक सड़क का सुधार (भारत–भूटान सड़क)	राज्यीय सड़क	36*
		जोड़ राज्यीय सड़क		**152**

9	सिकिकम	गंगटोक से नाथुला तक मौजूदा एकल लेन सीमा सड़क को दो लेन का बनाना	जी एस सड़क	87
		जोड जी एस सड़क		**87**
		जोड़ (।)		**1403**
10	त्रिपुरा	चुरायबाढ़ी से सबरुम तक रा.रा.–44 को चार लेन का बनाना	रा.रा.	330
11	मणिपुर, मेघालय मिजोरम और, असम	मेघालय में जोवाई बाइपास सहित रा.रा. 44,53, 54 और 154 को लेन का बनाना	रा.रा.	180
12	मेघालय	रा.रा.–40 के बारापानी–शिलौंग खंड के मौजूदा 2 लेन में सुधार करना और शिलौंग शहर में फ्लाईओवर	रा.रा.	54
13	असम और अरुणाचल प्रदेश	डिब्रूगढ़ से रुपाई तक रा.रा. 37 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना तथा पुनर्संरेखण और रा.रा.–38 पर स्टिलवेल सड़क को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	161
		जोड़	रा.रा.	**725**
14	अरुणाचल प्रदेश	तालिहा–टाटो और मिगिंग बाइल इंटर बेसिन सड़कों को 2 लेन का बनाना/सुधार	राज्यीय सड़क	176
		जोड़	राज्यीय सड़क	**176**
		जोड़		**901**
		कुल जोड़		**2304**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण–'ख' के अंतर्गत खंडों की सूची

क्र. सं.	राज्य की श्रेणी	कार्य का स्वरूप	राज्य	अनंतिम लंबाई (कि.मी.)
राष्ट्रीय राजमार्ग				
1.	रा रा 44ए	रारा 44ए के 11.500 से 130 कि.मी. तक पुनर्संरेखण/2 लेन का बनाना	मिजोरम	119
2.	रा रा 44ए	मानू से त्रिपुरा / मिजोरम सीमा तक रारा 44 ए का पुनर्संरेखण/2 लेन का बनाना	त्रिपुरा	110
3.	रा रा 44ई	रारा 44 ई के नॉगस्टोन–शिलोंग खंड को 2 लेन का बनाना	मेघालय	83
4.	रा रा 52	जोनाई–सीतापानी खंड को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	335
5.	रा रा 54	रारा 54 के आइजोल से तुईपांग खंड को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	380
6	रा रा 54ए	रारा 54ए के लुंगेली–थेरियाट खंड को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	9
7.	रा रा 54बी	रारा 54बी के जीरो प्वाईंट से साहिया खंड को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	27
8.	रा रा 61	असम/नागालैंड सीमा से कोहिमा खंड को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	234
9.	रा रा 62	असम/मेघालय सीमा से बाघमारा तक 2 लेन का बनाना	मेघालय	96
10.	रा रा 150	रारा 150 के उखरूल से येंगांगपोकपी खंड को 2 लेन का बनाना	मणिपुर	92
11.	रा रा 150	कोहिमा से नागालैंड/मणिपुर सीमा को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	132

12.	रा रा 155	मोकोकचुंग से जेस्सामी खंड को 2 लेन का बनाना	नागालैड	340
			जोड़ (I)	**1957**
I I	सामरिक सड़कें			
13	भारत–म्यांमर सड़क	विजय नगर मियायो सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	157
14	भारत–म्यांमर सड़क	मियायो – जयरामपुर सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	32
15	भारत–म्यांमर सड़क	जयरामपुर (रा.रा.–153)–लालपुल ब्रिज तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	9
16	भारत–म्यांमर सड़क	लालपुल ब्रिज – मानमाओ सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	32
17	भारत–म्यांमर सड़क	मानमाओं चांगलांग सड़क/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	44
18	भारत–म्यांमर सड़क	चांगलोग–खिमियांग सड़क तक सुधार /2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	35
19	भारत–म्यांमर सड़क	खिमियांग–संगकुहावी सड़क तक सुधार /2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	33
20	भारत–म्यांमर सड़क	संगकुहावी–लाझू सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	40
21	भारत–म्यांमर सड़क	लाझू–वक्का सड़क का सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	75
22	भारत म्यांमर सड़क	वक्का–खानू सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	21
23	भारत म्यांमर सड़क	खानू–कोंसा सड़क का सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	30
24	भारत म्यांमर सड़क	कोंसा–पांचाओ सड़क का सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	29
25	भारत म्यांमर सड़क	पांचाओ–नागालैंड सड़क का सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	25

26	राज्यीय सड़क	यिंगकियोग–बिसिंग (पोरगो वाया गिटे–पुगिंग–लिकोर–पेलिंग–जिडो) सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	160
27	राज्यीय सड़क	जिडो–सिंघा सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	94
28	राज्यीय सड़क	पांगो–जोरगिंग सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	90
29	राज्यीय सड़क	सरकम प्वाईंट से सिंगा वाया इकोडोमपिंग सड़क तक सुधार/2 लेन का बनाना	अरुणाचल	125
			योगः (।।)	**1031**
30	ओडीआर	यूपिया–पप्पू रोड को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	10
31	एमडीआर	हरनगाजो–तुरुक से गुजरने वाले बारक घाटी (सिलचर)–गुहावाटी के बीच वैकल्पिक मार्ग को 2 लेन का बनाना।	असम	285
32	एमडी आर	गोलाघाट – रंगाजन सड़क को 2 लेन का बनाना।	असम	7
33	एमडीआर	डिफू–मंजा सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	16
34	एमडीआर	हॉफलौंग–जतिंगा सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	8
35	एमडीआर	धुब्री–गौरीपुर सड़क को 2 लेन का बनाना।	असम	8.5
36	आरआर	बासका–बामारा सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	25
37	राज्यीय राजमार्ग	मोरीगांव–जगी सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	23
38	राज्यीय राजमार्ग	बारपेटा–होवली सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	12

39	राज्यीय राजमार्ग	गोलपाडा–सोलमारी सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	6.5
40	राज्यीय राजमार्ग	कोकराझाड–कारीगांव सड़क को 2 लेन का बनाना	असम	18
41	राज्यीय राजमार्ग	तामिंगलौंग–खोनसांग को सड़क को 2 लेन का बनाना	मणिपुर	40
42	राज्यीय राजमार्ग	पालेल चंदेल सड़क को 2 लेन का बनाना	मणिपुर	18
43	राज्यीय राजमार्ग	नौंगस्टाइन–रांगझेंग सड़क को 2 लेन का बनाना	मेघालय	201
44	ओडीआर	विलियम नगर से नेंगखरा सड़क और अन्य सड़क (14 और 8 कि.मी.) की संबंधित लंबाई में दोनों ओर सड़क संपर्क) को 2 लेन का बनाना	मेघालय	22
45	राज्यीय राजमार्ग	लुंगलेई दीमागिरी सड़क को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	92
46	एमडीआर	चम्पाई–थाऊ सड़क को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	30
47	एमडीआर	फुट जवाई सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	18
48	एमडीआर	अथिबुंग–खेलमा सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	55
49	एमडीआर	फेक–फुतजोरो सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	79
50	एमडीआर	लौगलेंग–च्वांगटोगिया सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	35
51	एमडीआर	तामलू–मेरांगकोग सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	50

52	एमडीआर	पारेन–कोहिमा सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	96
53	नये	मेल्ली–सिंगताम तक नया वैकल्पिक राजमार्ग	सिक्किम	27
54	राज्यीय राजमार्ग	ग्यालसिंग–सिंगटाम सड़क को 2 लेन का बनाना।	सिक्किम	80
55	राज्यीय राजमार्ग	तारकू–नामची सड़क को 2 लेन का बनाना।	सिक्किम	32
56	राज्यीय राजमार्ग	लेगशिप–जोरेथांग सड़क को 2 लेन का बनाना।	सिक्किम	26
57	एमडीआर	कालिया शहर–कुमारघाट सड़क को 2 लेन का बनाना	त्रिपुरा	26
58	जीएसरोड	सेप्पा–नेचिप्पु सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	96
59	जीएसरोड	कोलोरियांग–जोराम सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	158
60	जीएसरोड	यिंगकोयांग–पांगिन सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	86
61	जीएसरोड	अनीनी–मेका सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	235
62	जीएसरोड	हवाई–हवा कैंप सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	126
63	जीएसरोड	आलोग–बामे सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	31
64	जीएसरोड	त्वांग–बालीपाडा सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश /असम	315
65	जीएसरोड	जीरो–पाहूमारा सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश /असम	124
66	जीएसरोड	लेकाबाली–डापोरीझो सड़क को 2 लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश /असम	222

67	जीएसरोड	चम्पाई–सेलिंग सड़क को 2 लेन का बनाना	मिजोरम	150
68	जीएसरोड	जेनेहोबोटो–चाकाबामा सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	128
69	जीएसरोड	मोन–तामलू सड़क को 2 लेन का बनाना	नागालैंड	50
70	जीएसरोड	गंगटोक–मंगाम सड़क को 2 लेन का बनाना	सिक्किम	68
71	राज्यीय सड़क	कुकीताल से सबरूम का सुधार	त्रिपुरा	310
			योग (III)	**3445**
			योग(I+II+III)	**6433**

अनुबंध VII
[पैरा 9.1.2]

कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा उसमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	इस समय कुल कर्मचारियों की सं.	अ.जा	इस समय कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	इस समय कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत
समूह क	207	179	26	14.52	11	6.14
समूह ख	50	42	08	19.04	03	7.14
समूह ग	41	28	06	21.42	02	7.14
जोड़	**298**	**249**	**40**	**16.06**	**16**	**6.42**

गैर तकनीकी

समूह	स्वीकृत संख्या	इस समय कुल कर्मचारियों की सं.	अ.जा	इस समय कुल कर्मचारियों के मुकाबले प्रतिशत	अ.ज.जा	इस समय कुल कर्मचारियो के मुकाबले प्रतिशत
समूह क	43	39	08	20.51	01	2.56
समूह ख	218	211	37	17.53	07	3.31
समूह ग	246	191	34	17.80	10	5.23
समूह घ	203	185	63	34.05	10	5.40
जोड़	**710**	**626**	**142**	**22.68**	**28**	**4.47**
कुल जोड़ (तकनीकी व गैर तकनीकी)	**1008**	**875**	**182**	**20.08**	**44**	**5.02**

अनुबंध VIII
[पैरा 13.1.5]

वर्ष 2006–07 के लिए अनुदानों के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति

1. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि

(करोड़ रु.)

1.4.2006 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	**309.79**
2006–07 के दौराण प्राप्तियां	80.00
2006–07 के दौराण भुगतान	66.76
31.3.2007 को अंत शेष	**323.03**

2. केंद्रीय सड़क निधि

(करोड़ रु.)

1.4.2006 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	**3615.43**
2006–07 के दौरान प्राप्तियां	8113.52
2006–07 के दौरान भुगतान (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान + प्रबंधन व्यय)	7963.34
31.3.2007 को अंत शेष	**3765.61**

वित्त वर्ष 2006–2007 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का अनुदान

(करोड़ रु.)

अनुदान सं. और नाम		बजट प्राक्कलन	पूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण
अनुदान सं. 85	राजस्व लेखा	11960.30	0.02	11960.32	11444.78	515.54	419.65
	पूंजी लेखा	11644.25	0.01	11644.26	11363.08	281.18	255.08
जोड़		**23604.55**	**0.03**	**23604.58**	**22807.86**	**796.72**	**674.73**

स्रोत : विनियोजन लेखा 2006 – 2007

अनुबंध IX
[पैरा 13.1.6]

गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु.)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	2004–05	2005–2006	2006–07
1	0021–नैगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	30.27	35.71	37.58
2	0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क		–	–.
3	0049–ब्याज की प्रप्तियां	144.54	193.41	135.92
4	0050–लाभांश और लाभ	–	–	–
5	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	–	–	–
6	0071–पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	0.10	0.28	0.43
7	0075–विविध सामान्य सेवाएं	1.01	1.45	1.79
8	0210–चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ	0.08	0.08	0.08
9	0216–आवास	0.08	0.09	0.10
10	0852–परिवहन उपस्कर सेवाएं	–	–	–
11	1054–सड़क और पुल	99.30	94.76	99.66
12	1055–सड़क परिवहन		0.52	0.02
13	1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.12	0.07	0.04
	जोड़	**274.50**	**326.37**	**275.62**

पूंजीगत प्राप्तियां

क्रम सं.	विवरण	2004–05	2005–06	2006–07
1	7075–अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	71.08	100.77	152.53
2	7601–राज्य सरकार को ऋण तथा अग्रिम	13.87	17.48	17.26
3	7602–संघ राज्य क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम	–	–	–
4	7610–सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.65	0.61	0.67
	जोड़ (पूंजीगत प्राप्तियां)	**85.60**	**118.86**	**170.46**
	कुल जोड़	**360.10**	**445.23**	**446.08**

[पैरा 13.1.6]

वर्ष 2006–2007 के दौरान निधियों का उपयोग

राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

विवरण	2004–05			2005–06			2006–07		
	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़	योजनागत	गैर–योजनागत	जोड़
2049–व्याज का भुगतान	–	2.06	2.06		2.39	2.39		2.79	2.79
2071–पेंशन का भुगतान (एम 2071)	–	1.86	1.86		1.24	1.24		2.16	2.16
2225–सामजिक, सुरक्षा एवं कल्याण	–	–	–		0.02	0.02		0.24	0.24
3054–सड़क एवं पुल	2812.69	746.38	3559.07	4979.69	902.64	5882.33	8117.30	845.94	8963.24
3055–सड़क परिवहन	32.42	–	32.42	27.70		27.70	40.00		40.00
3451–सचिवालय, आर्थिक सेवाएं	–	23.98	23.98	.	25.79	25.79		26.55	26.55
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	0.10		0.10	0.86		0.86	27.89		27.89
3602–संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3605–अन्य देशाों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग					0.03	0.03			
राजस्व व्यय	2845.21	774.28	3619.49	5008.25	932.11	5940.36	8185.19	877.44	9062.87

पूंजी व्यय									
	2004–05			2005–06			2006–07		
5054–सड़क एवं पुल	2582.67	–	2582.67	4642.82		4642.82	3621.05		3621.05
7075–अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	360.50	–	360.50	600.00		600.00	395.50	–	395.50
7610–सरकारी कर्मचारियों को ऋण	–	0.65	0.65		0.35	0.35		0.36	0.36
पूंजी व्यय	2943.14	0.65	2943.79	5242.82	0.35	5243.17	4016.55	0.36	4016.91
कुल जोड़ (राजस्व + पूंजी)	5788.35	774.93	6563.28	10251.09	932.46	11183.53	12201.74	877.80	13079.78

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परिसंपत्तियां 174.76 करोड़ रुपए कम बताई गई और देयताएं 16.00 करोड़ रुपए कम बताई गई।

[2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 9 का पैरा 2.4.4.7]